दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वार्षिकी 2018

पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पर बिंदुवार पुनरावलोकन



दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 32 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(28 + 8 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28 Booklets) ₹10,000/-
सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(8 Booklets) ₹2,500/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28+8 Booklets) ₹11,000/-

Available

For UPSC Civil Services Exam (Prelims & Mains) – 2018

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- General Studies (Prelims)
- General Studies (Mains)
- General Studies (Prelims & Mains)

Dispatch Schedule

Prelims Module (GS + CSAT)

- Packet 1 *(4 Booklets)* 25 Dec. 2017
- Packet 2 *(5 Booklets)* 25 Jan. 2018
- Packet 3 *(6 Booklets)* 25 Feb. 2018
- Packet 4 *(5 Booklets)* 25 Mar. 2018

Mains Module

- Packet 1 *(4 Booklets)* 5 May 2018
- Packet 2 *(5 Booklets)* 5 Jun. 2018
- Packet 3 *(4 Booklets)* 5 Jul. 2018
- Packet 4 *(4 Booklets)* 5 Aug. 2018

General Studies

Prelims (17 GS + 3 CSAT Booklets)	₹8000/-
Mains (17 Booklets)	₹7000/-
Prelims + Mains (37 Booklets)	₹13500/-

Invitation Offer

- ***Free Subscription of Online Test Series for Prelims 2018 worth ₹6,000***
- ***Free Drishti Current Affairs Today Magazine with every dispatch***
- ***Dedicated e-mail support for query resolution***

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें
8130392354, 8130392356, 87501-87501, 011-47532596

वार्षिकी 2018

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण- जनवरी 2018

मूल्य : ₹ 195

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

जैसा कि आप जानते ही हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन्स द्वारा विगत वर्ष लगभग 12 माह के घटनाक्रम को 'वार्षिकी 2017' के नाम से प्रस्तुत किया गया था। एक वर्ष के करेंट अफेयर्स को पुस्तक रूप देने का वह हमारा प्रथम प्रयास था। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि वर्ष 2017 की आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हमारी पुस्तक की परिधि में थे। यही कारण था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने न केवल इसे हाथों-हाथ लिया, वरन् उनके द्वारा आगामी वर्ष के लिये भी करेंट अफेयर्स के इसी तरह के वार्षिक संकलन को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। आपसे प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए हम आपके समक्ष पिछले 12 माह के घटनाक्रम को 'करेंट अफेयर्स टुडे-वार्षिकी 2018' के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस खंड की ठोस तैयारी के बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान में करेंट अफेयर्स से संबंधित ढेर सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक भी पुस्तक परीक्षा की बदलती प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। इन पुस्तकों में तथ्यात्मक अशुद्धियों के साथ गैर-परीक्षोपयोगी तथ्यों की भी भरमार है। अद्यनता के अभाव एवं पुरानी घटनाओं के बार-बार दोहराव के कारण ये पुस्तकें अनुपयोगी तथ्यों का भंडारमात्र बन कर रह गई हैं जो विद्यार्थियों को तैयारी के दौरान दिग्भ्रमित कर देती हैं।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है। आई.ए.एस. सहित कई राज्यों की पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाएँ होने वाली हैं। 'करेंट अफेयर्स टुडे-वार्षिकी 2018' इन चुनौतियों से पार पाने में आपके लिये प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। यह पुस्तक हमारी मासिक करेंट अफेयर्स की पत्रिका 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पिछले 12 माह के अंकों के आधार पर संकलित की गई है। एक वर्ष के करेंट अफेयर्स के विशाल भंडार से परीक्षोपयोगी तथ्यों को मात्र 270 पृष्ठों में प्रस्तुत करना सागर से मोती चुनने जैसा कार्य था। इस दुरूह कार्य को हमारी 10 सदस्यीय टीम ने अंजाम दिया, जिसके लिये वे सभी बधाई के पात्र हैं।

11 खंडों में विभाजित इस पुस्तक का प्रत्येक खंड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप तैयार किया गया है, प्रत्येक खंड के पश्चात् विशेषज्ञों द्वारा निर्मित संबद्ध खंड के प्रश्नों का संकलन भी दिया गया है, जो कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित आगामी सभी परीक्षाओं के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा विश्वास है कि इन प्रश्नों को हल करने से न केवल पूरी पुस्तक का कम समय में रिवीज़न हो जाएगा, वरन् आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे। पुस्तक को त्रुटिहीन तथा अद्यतन बनाने के लिये इसका कई चरणों में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ते समय तथ्यों की दुरूहता की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये उनका बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया गया है। विविध और खेल घटनाक्रम को नए और रोचक अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को तथ्यों को आत्मसात् करने में आसानी होगी।

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी एवं सफलता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको कोई भी कमी दिखे तो बेझिझक 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर ही हम पुस्तक को और बेहतर व प्रामाणिक बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1.	सवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	1-45
2.	आर्थिक परिदृश्य	46-87
3.	रिपोर्ट एवं सूचकांक	88-109
4.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे	110-134
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	135-157
6.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	158-188
7.	सुरक्षा	189-201
8.	सामाजिक मुद्दे	202-217
9.	कला एवं संस्कृति	218-229
10.	खेल घटनाक्रम	230-239
11.	विविध	240-266

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे

क्या आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं?

अगर हाँ, तो निम्नलिखित जानकारियाँ आपके लिये हैं-

आप विभिन्न समयावधि के लिये पत्रिका का 'सब्सक्रिप्शन' ले सकते हैं। इसकी दरें निम्नलिखित हैं:

अवधि	शुल्क (कोरियर शुल्क सहित)
3 महीने के लिये	₹ 430
6 महीने के लिये	₹ 840
1 वर्ष के लिये	₹ 1440
2 वर्षों के लिये	₹ 2880
3 वर्षों के लिये	₹ 4320

'सब्सक्रिप्शन' लेने के लिये आप अपनी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं-

1. *0-8130392351 नम्बर पर फोन, मैसेज या वाट्सऐप करें।*
2. *'online@groupdrishti.com' पर ई-मेल भेजें।*
3. *'www.drishtiias.com' के होमपेज पर दिये गए 'Magazine' लिंक पर जाकर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बुक करें।*

उपरोक्त में से किसी भी विकल्प को चुनने पर आपके पास राशि का भुगतान करने के लिये निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध रहेंगे-

(क) आप *VDK Publications Pvt. Ltd.* के बैंक खाते में नकद राशि जमा करा सकते हैं। यह बैंक खाता 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' तथा 'आई.सी.आई.सी.आई.' बैंकों में है। इसके नंबर आदि की जानकारी आप ऊपर दिये गए फोन नम्बर या वेबसाइट से ले सकते हैं।

(ख) आप *VDK Publications Pvt. Ltd.* के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट दिल्ली में भुगतान योग्य होना चाहिये।

(ग) अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपने बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करना चाहें तो यह विकल्प *'www.drishtiias.com'* पर उपलब्ध है।

हमारे पास पत्रिका के पुराने अंकों की कुछ प्रतियाँ सुरक्षित हैं। जो पाठक उन्हें लेना चाहें, वे कृपया 0-8130392351 नम्बर पर फोन, मैसेज या वाट्सऐप द्वारा संपर्क करें।

For any query please contact: 87501 87501

अगर आप पत्रिका को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त करना चाहते हैं तो विक्रेता से निवेदन करें कि वह पत्रिका मंगवाए।

दृष्टि पब्लिकेशन्स

की लोकप्रिय 'Quick Book' शृंखला की पुस्तकें



IAS, PCS सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं (जैसे- NDA, CDS, CAPF, SSC, CPO, UGC-NET इत्यादि) के लिये उपयोगी

हमारी NCERT शृंखला की पुस्तकें



कक्षा 6 से 12 तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल

1 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम
(Constitutional/ Administrative Issues)

मातृत्व लाभ अधिनियम

चर्चा में क्यों?

सरकार ने वर्ष 2017 की शुरुआत में ही मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन किये थे। हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन का वित्तीय बोझ नियोक्ताओं पर डाल दिया जिसने इसे कार्यान्वयन में लाने की व्यवहार्यता पर चिंता पैदा कर दी है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2007 में श्रम पर बनी स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि सरकार को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिये नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले खर्चों को आंशिक रूप से प्रायोजित करने हेतु एक कोष निधि निर्मित करनी चाहिये। हालाँकि, किसी भी सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की गई। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के हालिया निर्णय ने तो इस संभावना को ही समाप्त कर दिया।
- हालाँकि, आई.एल.ओ. (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन) की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सभी कामकाजी महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने के लिये सबसे ज़रूरी यह है कि नियोक्ताओं को इस बारे में उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि मातृत्व लाभ को सामाजिक बीमा या सार्वजनिक फंड के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिये।

प्रमुख संशोधन

- इस संशोधन में शिशु मृत्यु दर (वर्तमान के 34/1,000 जीवित जन्म) और मातृ मृत्यु दर (वर्तमान के 167/100,000 जीवित जन्म) में सुधार करना है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत किये गए संशोधनों में 26 सप्ताह के सवैतनिक प्रसूति अवकाश के साथ-साथ अनिवार्य शिशु गृह सुविधा का विशेष प्रावधान किया गया है। विदित हो कि पहले यह सुविधा महज़ 12 हफ्तों के लिये ही थी।
- ऐसे मामले जिनमें महिला को दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं, 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाने वाला प्रावधान पूर्व की भाँति जारी रहेगा।
- ऐसी संस्थाओं, जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच (शिशु गृह) की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इस प्रकार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 42 के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों का भी अनुसरण करता है।

नोट: यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है।

चुनौतियाँ

- मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर देने से महिलाओं के लिये उपलब्ध रोज़गारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता को मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन देना पड़ेगा जिस कारण नियोक्ता पुरुष श्रमिकों को प्राथमिकता देंगे।
- इसके प्रावधानों का पालन करने से नियोक्ता की लागत में वृद्धि होने से उन उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें महिला श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है।
- उक्त संशोधनों में शिशु गृह सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है, जो कि एक गहन-लागत वाला मुद्दा है और जिसके परिणामस्वरूप न केवल नियोक्ता गर्भवती महिलाओं को काम पर रखने से परहेज़ करेंगे बल्कि पहले से कार्यरत गर्भवती महिलाओं को नौकरी पर बनाए रखने पर भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।

आगे की राह

- मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिये नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले खर्चों को आंशिक रूप से प्रायोजित करने के लिये सरकार एक कोष निधि बना सकती है।
- मातृत्व लाभ अनिवार्य रूप से बाध्यकारी सामाजिक बीमा या सार्वजनिक धन के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा शुरू किये गए 'मातृत्व लाभ कार्यक्रम' (MBP) और 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' (IGMSY) इस दिशा में सराहनीय प्रयास कहे जाएंगे।
- उचित पितृत्व अवकाश प्रदान कर महिलाओं को रोज़गार में निजी क्षेत्र के द्वारा किये जाने वाले भेदभाव से बचाया जा सकता है। इससे संदेश यह जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है और फिर यह महिलाओं के लिये प्रतिकूल नहीं रह जाएगा।
- मानव अधिकारों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार, "महिला का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य कई मानवीय अधिकारों से संबंधित है, जिसमें जीवन का अधिकार, उत्पीड़न से मुक्त होने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव से निषेध का अधिकार शामिल है।"

राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन के लिये **राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017** शीर्षक से इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये अपनी मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

शराब का कारोबार मूल अधिकार नहीं

30 मार्च को हुई सुनवाई के बाद राजमार्गों (हाइवे) पर 500 मीटर के दायरे में अवस्थित शराब की दुकानों को हटाने के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार और रोज़गार के अधिकार की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि शराब का कारोबार करना मूल अधिकार नहीं है। एक गैर-सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि हाइवे पर आसानी से शराब की उपलब्धता नशे में गाड़ी चलाने को बढ़ावा देती है।

'रोज़गार की स्वतंत्रता का अधिकार' शराब के कारोबार पर लागू नहीं होता, क्योंकि शराब का कारोबार संवैधानिक सिद्धांत में व्यापार की श्रेणी से बाहर है। इसके अलावा रोज़गार का अधिकार, जीवन के अधिकार के बाद आता है।

न्यायालय ने कहा कि राज्य के आबकारी नियमों में शराब की दुकानों का लाइसेंस जारी करने का सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है और कोई भी व्यक्ति लाइसेंस पाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। राज्य सरकार के आबकारी नियमों में शराब की दुकानों का कुछ संस्थाओं से निश्चित दूरी रखना तय है। यह तय करना सरकार का अधिकार है कि वह नियमों के तहत लाइसेंस देगी या नहीं। कोई भी व्यक्ति नियमों का हवाला देकर लाइसेंस पाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। शराब के व्यापार में राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री के नुकसानदेह पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। संवैधानिक मूल्यों में जीवन के अधिकार को सबसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता करना संविधान में दिये गए जीवन के संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करने का एक ज़रिया है।

विदित हो कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिसंबर 2016 में अपने एक आदेश में सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों की 500 मीटर की सीमा के अंदर अवस्थित सभी शराब की दुकानें हटाने को कहा था तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे विज्ञापन भी हटाने को कहा था। इसके अलावा सभी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिये लाइसेंस समाप्त करने का आदेश देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा था कि ये दुकानें लाइसेंस में दी गई अवधि तक शराब बेच सकेंगी, लेकिन उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को मिला जीवन का अधिकार बेहद महत्त्वपूर्ण है। राज्यों को इसका सम्मान करते हुए अपनी नीति में बदलाव करना होगा।

जीवन के अधिकार और रोज़गार की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर न्यायालय ने कहा कि एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की चिंता करना और सड़क का उपयोग करने वालों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से बचाने की ज़रूरत है, तो दूसरी ओर शराब कारोबार के व्यापारिक हितों की। दूसरा हित पहले के बाद आएगा अर्थात् पहले जीवन का अधिकार, उसके बाद रोज़गार का अधिकार।

न्यायालय ने कहा कि राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानों पर रोक का आदेश देकर न तो किसी नियम का उल्लंघन हुआ है और न ही कानून बनाने की कोशिश की गई है। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ) के तहत दिये गए व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ का स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे व्यवसाय करे। न्यायालय ने इससे पहले भी कई मामलों में निर्धारित किया है कि व्यवसाय का अर्थ वैध व्यवसाय से है और शराब, गांजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों का व्यापार करना मूल अधिकारों में शामिल नहीं है।

दीनदयाल 'स्पर्श' योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिये दीनदयाल 'स्पर्श' योजना (Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby–SPARSH) का शुभारंभ किया गया है।

डाक टिकट संग्रह (फिलैटली)	
क्या है?	डाक टिकट संग्रह रुचि, डाक टिकटों के संग्रह और इसके अध्ययन से जुड़ी है। इसमें संग्रह और शोध भी शामिल हैं। डाक टिकट संग्रह के अंतर्गत डाक टिकटों को ढूंढना, चिह्नित करना, प्राप्त करना, सूचीबद्ध करना, प्रदर्शन करना, संग्रह करना आदि कार्य शामिल हैं। डाक टिकट संग्रह की रुचि को सभी रुचियों का राजा कहा जाता है।
प्रकार	डाक टिकट 'स्मारक' और 'नियत' प्रकार के होते हैं। स्मारक डाक टिकट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, महत्त्वपूर्ण घटनाओं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों, प्रकृति के पहलुओं, सुंदर या विलुप्तप्राय पेड़-पौधे, पर्यावरणीय मुद्दों, कृषि के कार्यकलापों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेलों आदि के स्मरण में जारी किये जाते हैं। ये डाक टिकट केवल फिलैटली ब्यूरो और काउंटरों में या फिलैटली जमा खाता स्कीम के तहत मिलते हैं। इनका मुद्रण सीमित मात्रा में होता है।
प्रोत्साहन	डाक विभाग द्वारा कई डाक प्रशासक, जैसे- ब्रिटेन, फ्राँस, यूएसए, हॉन्गकॉन्ग, थाईलैंड इत्यादि के अनुभव के क्रम में राजस्व सृजन हेतु एक कार्यकलाप के रूप में फिलैटली को अपनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिलैटली के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु डाक विभाग द्वारा किये गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: ■ समूचे देश में डाक टिकटों की प्रदर्शनियों का आयोजन; ■ फिलैटलिक ब्यूरो का सौंदर्यीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन; ■ टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिताएँ; ■ फिलैटली वस्तुओं की बिक्री; ■ फिलैटली कार्यकलापों की मुहिम सृजन में जागरूकता लाना।
महत्त्व	फिलैटली एक आनंदप्रद शौक है जो सौंदर्यपरक अभिरुचियों को तीव्र और तृप्त करता है। यह ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर परस्पर संवाद करते हुए राजनीति, इतिहास, प्रमुख व्यक्तियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, भूगोल, पादप और जंतु जगत, कृषि, विज्ञान, स्मारकों, सैनिकों, योद्धाओं, वैज्ञानिकों, अस्त्र एवं शस्त्र, परिवहन के माध्यमों आदि के बारे में रोचक जानकारियाँ प्रदान करता है। सीखने की यह प्रक्रिया दृश्य-सामग्रियों और संक्षिप्त आलेखों के माध्यम से और आनंददायक बन जाती है। इसके अलावा, डाक टिकट संग्रहण जानकारियों के प्रति अत्यंत सूक्ष्म और संकेंद्रित ध्यान दे पाने की क्षमता उत्पन्न करता है।

- चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के अनुसार बच्चा गोद लेने की दर अब तक बहुत धीमी थी। कई बार विकल्प देने की स्थिति में कई बच्चे काफी समय तक अपने होने वाले अभिभावकों से वंचित रह जाते थे।
- बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में अब बदलाव के बाद पंजीकरण करने वाले दंपत्ति को एक बच्चे की प्रोफाइल भेजी जाएगी, यह माता-पिता पर निर्भर होगा कि वे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या नहीं, जिसके लिये उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाएगा।
- यदि वे बच्चे को गोद ले लेते हैं तो उन्हें 20 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।
- शिशु दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं दिशा-निर्देश प्रणाली के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- संभावित अभिभावकों के लिये उनके आवेदनों की स्थिति का पता लगाना संभव हो जाएगा, जिससे पूरी प्रणाली अधिक अनुकूल हो जाएगी।
- गोद लेने की प्रक्रिया को समस्यारहित बनाने के लिये केयरिंग्स के पास गोद लिये जाने वाले बच्चों एवं अभिभावकों का एक केंद्रीकृत डाटा बैंक बनाया जा रहा है।
- घरेलू एवं अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया के लिये सुस्पष्ट समय-सीमा तैयार की गई है, जिससे शीघ्रता से गोद लिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इन नए नियमों के तहत अब भारतीय अभिभावकों को पंजीकरण के लिये गोद लेने वाली एजेंसियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
- माता-पिता अपनी योग्यता निर्धारित करने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- प्रस्तावित अभिभावकों को ऑनलाइन निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके बाद वे गोद लेने वाली एजेंसियों के पास जा सकेंगे।
- अंतर्देशीय गोद लेने के मामलों में भी सभी आवेदनों को केयरिंग्स पर ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज़ों को सिस्टम में अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही दत्तक ग्रहणों में, दत्तक ग्रहण के बाद की कार्रवाई को केयरिंग्स में ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा।
- सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों को देश में एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिये कारा (Central Adoption Resource Authority-CARA) से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है।
- देश भर में दत्तक ग्रहण एजेंसियों में उपलब्ध बच्चों की रियल टाइम ऑनलाइन सूचना मिलेगी।
- ज़िला स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की निगरानी के लिये ज़िला शिशु सुरक्षा इकाइयों को केयरिंग्स से जोड़ दिया गया है।

केयरिंग्स भारत सरकार द्वारा जारी बच्चों के गोद लेने को शासित करने वाले दिशा-निर्देश 2015 के अनुरूप देश में शिशु दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की नीति आयोग की सिफारिश

नीति आयोग ने वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का सुझाव दिया है, ताकि 'प्रचार मोड' के कारण शासन व्यवस्था में पड़ने वाले व्यवधान को न्यूनतम किया जा सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी का उल्लेख करते हुए नीति आयोग ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने से 'अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कुछ कटौती या विस्तार' करना पड़ सकता है।

- आयोग ने नोडल एजेंसी यानी चुनाव आयोग को इस पर गौर करने को कहा और एकमुश्त चुनावों का रोडमैप तैयार करने के लिये संबंधित पक्षकारों का एक कार्यसमूह गठित करने का सुझाव दिया।
- इस संबंध में 6 माह के भीतर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है और इसका अंतिम खाका अगले मार्च तक तैयार होगा।
- इस मसौदा रिपोर्ट को हाल ही में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया था। इन सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य लोग शामिल हैं।
- यह सिफारिश इस दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की बात कह चुके हैं।

पृष्ठभूमि

- लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विचार दिये जाने के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानूनी और अन्य दृष्टिकोणों से अलग-अलग विचार किये जाने का सुझाव दिया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने के विचार को कार्यरूप देने से पहले कई कानूनी पहलुओं पर विचार करना होगा, जिनमें संविधान संशोधन भी शामिल होगा और इस संशोधन को संसद में पारित कराना अनिवार्य होगा।
- विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने पिछले वर्ष दिसंबर में अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य सभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग से उसके विचार मांगे थे। आयोग ने इस विचार का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि इस पर खर्च अधिक आएगा और कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने के लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
- स्थायी समिति की रिपोर्ट और चुनाव आयोग के पक्ष का विश्लेषण करने के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस मुद्दे को दो हिस्सों में बाँट दिया है- एक के तहत कानूनी पहलू को रखा गया है और दूसरे में अवसंरचना, वित्तीय और अन्य पक्ष शामिल हैं।

- भारत में बना यह अब तक का सबसे बड़ा बाँध है और अमेरिका के ग्रांड कोली डैम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाँध है। इसकी ऊँचाई 138.68 मीटर है।
- सरदार सरोवर बाँध में 5740 एमसीएम जल भंडारण की क्षमता हो जाएगी, जो कि पहले 1565 एमसीएम थी।

विवाद

- सरदार सरोवर बाँध को लेकर 1980 के दशक से ही ज़बरदस्त विरोध भी शुरू हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर की अगुआई में डैम का निर्माण रोकने की कोशिश हुई थी।
- नर्मदा बचाव आंदोलन की अगुआई करने वाली मेधा पाटेकर ने इस मामले को लेकर सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में घसीटा और 1996 में कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी।
- अक्तूबर 2000 में पूरी ऊँचाई तक निर्माण की इजाज़त देते हुए विस्थापितों के पर्याप्त पुनर्वास और राहत प्रक्रिया की नियमित देख-रेख करते रहने का निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बाँध बनाने की अनुमति दी।
- नर्मदा बचाओ आंदोलन का ही नतीजा था कि सरदार सरोवर बाँध के लिये मदद दे रहे विश्व बैंक ने बाद में अपनी शर्तें काफी कड़ी बना दीं, जो भारत सरकार को मंज़ूर नहीं हुईं और मदद अस्वीकार कर दी गई।
- डूबे क्षेत्र में आने वाले लोगों के विस्थापन का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है।

लाभ

- बाँध का सबसे ज़्यादा फायदा गुजरात को मिलेगा।
- बिजली का सबसे अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश (57%) को मिलेगा। महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16% बिजली मिलेगी। राजस्थान को सिर्फ पानी मिलेगा।
- देश में सिंचाई, पेयजल और स्वच्छ विद्युत आपूर्ति हेतु इस बाँध को काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

नर्मदा नदी

- नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, जिसमें उत्तर से हिरण, बारना एवं दक्षिण से दूधी, तवा, शेर, शक्कर दुग्धधारा, सहस्रधारा आदि नदियाँ मिलती हैं।
- धुआँधार जलप्रपात इस पर स्थित है। यह भड़ौच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी पश्चिम में बहती हुई अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।

अभ्यास प्रश्न

1. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 'सौभाग्य योजना' का शुभारंभ किया गया। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली सुनिश्चित करने से संबंधित है।
 2. ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली सुनिश्चित करने से संबंधित है।

 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2
2. आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक, 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधियों को परिभाषित करता है।
 2. यह विधेयक केवल ₹ 100 करोड़ या उससे ऊपर के आर्थिक अपराधों पर ही विचार करता है।
 3. यह विधेयक मनी लॉन्डरिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत अदालती कार्यवाही की अनुमति देता है।

 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1 और 3
 (b) केवल 2
 (c) केवल 2 और 3
 (d) 1, 2 और 3
3. 'सौभाग्य योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
 1. इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण तथा शहरी घरों को बिजली प्रदान करना है।
 2. नि:शुल्क बिजली कनेक्शन के लिये लाभकर्त्ता का वर्ष 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना में चयन होना अनिवार्य है।
 3. इसके तहत बिना बिजली वाले परिवारों को मात्र ₹ 500 के भुगतान द्वारा कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
 4. भुगतान राशि को बिजली बिल की 5 किस्तों में वापस करने का प्रावधान है।

 कूट:
 (a) केवल 1
 (b) केवल 1 और 2
 (c) केवल 4
 (d) केवल 1 और 3

2 आर्थिक परिदृश्य (Economic Scenario)

पीसीआर *(Public Credit Registry)*

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक व्यापक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) विकसित करने के लिये एक उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया है। 10 सदस्यीय इस कार्यबल के प्रमुख एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग्स के पूर्व सीएमडी वाई.एम. देवोस्थली होंगे।

क्या है पीसीआर व्यवस्था?

- सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री व्यवस्था में कानून के तहत कर्ज़दाताओं या कर्ज़दारों के लिये लोन विवरणों की सूचना पीसीआर को देना अनिवार्य बना दिया जाता है।
- आमतौर पर पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है।

आवश्यकता क्यों?

- वर्तमान में भारत में चार क्रेडिट ब्यूरो हैं- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड-CIBIL, एक्सपीरियन-Experian, इक्विफैक्स-Equifax और CRIF High Mark- इनका विनियमन 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ (रेगुलेशन) एक्ट, 2005' के तहत आरबीआई द्वारा किया जाता है।
- ये ब्यूरो भारत में कंपनियों के क्रेडिट स्कोर एवं अन्य संबद्ध रिपोर्ट व सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- अभी तक उनके विश्लेषण का उपयोग मुख्य रूप से खुदरा ऋणों पर निर्णय लेने के लिये किया जाता रहा है परंतु इससे भारत में क्रेडिट मार्केट का सही आकलन संभव नहीं हो पाता है।
- सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री के बनने पर ऋण प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों व कंपनियों एवं ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों के लिये ऋण विवरणों को उपलब्ध कराना कानूनन अनिवार्य हो जाएगा। इससे अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले औद्योगिक संस्थानों व व्यक्तियों के लिये सस्ता ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

कार्यदल के विचारार्थ विषय

- भारत में ऋण (क्रेडिट) संबंधी सूचना की मौजूदा उपलब्धता की समीक्षा करना;
- पीसीआर पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का अध्ययन करना;
- व्यापक पीसीआर के दायरे या लक्ष्य को निर्धारित करना;
- यह तय करना कि व्यापक पीसीआर प्राप्त करने के लिये नई सूचना प्रणाली की संरचना की जाए या मौजूदा सिस्टम को मज़बूत या एकीकृत किया जाए;
- भारत में अंतरालों (Gaps) का मूल्यांकन करना ताकि एक व्यापक पीसीआर से इसकी पूर्ति की जा सके;
- भारत के लिये पारदर्शी, व्यापक और निकट-तत्काल आधार पर पीसीआर विकसित करने के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित एक रोडमैप का सुझाव देना।

इस कार्यदल का अपना सचिवालय सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग में होगा। आयोग गठन की तारीख के छह महीनों के अंदर (4 अप्रैल, 2018 तक) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

पीसीआर व्यवस्था के क्या फायदे होंगे?

- इससे बैंकों की ओर से क्रेडिट के आकलन और दर निर्धारण में मदद मिलेगी।
- नियामकों के लिये निगरानी करना और पहले से दखल देना आसान हो जाएगा।
- यह समझने में मदद मिलेगी कि मौद्रिक नीति सही कार्य कर रही है अथवा नहीं।
- छोटे व मंझोले कारोबारियों व उद्यमियों को लोन बाज़ार में तरजीह मिलनी शुरू होगी।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जन उपयोग की अनेक वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती करके करदाताओं को राहत दी गई। साथ ही, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के सृजन को भी मंज़ूरी दी गई।

एनएए क्या है?

- वास्तव में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (National Anti-Profiteering Authority–NAA) एक शीर्ष निकाय है जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तरीय एक वरिष्ठ अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे एवं केंद्र या राज्यों से चार तकनीकी सदस्य होंगे।
- साथ ही, इस संस्थात्मक ढाँचे में एनएए, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियों और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के सेफ गाड्र्स महानिदेशालय भी शामिल हैं।

इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है?

- सरकार कर प्रणाली को अधिक-से-अधिक तर्कसंगत एवं बाज़ार के माहौल को अनुकूल व सुगम बनाने के लिये जीएसटी की कर दरों में छूट दे रही है। इसके बावजूद कई स्तरों पर ग्राहकों को भारी इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिल रहा है।

- डीआईडीएफ परियोजना घटकों के लिये ₹10,881 करोड़ में से ₹8004 करोड़ राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध विकास (एनसीडीसी) के लिये नाबार्ड से ऋण के रूप में, ₹2001 करोड़ अंतिम ऋण प्राप्तकर्त्ताओं का योगदान होगा, ₹12 करोड़ एनडीडीबी/एनसीडीसी का हिस्सा होगा और ₹864 करोड़ ब्याज रियायत की दिशा में डीएडीएफ (Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries) द्वारा योगदान किया जाएगा।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹2004 करोड़, ₹3006 करोड़ और ₹2994 करोड़ का भुगतान नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।
- ऋण भुगतान की पूरी अवधि यानी वर्ष 2017-18 से 2028-29 की अवधि में 12 वर्ष में नाबार्ड को ब्याज रियायत पूरा करने के लिये ₹864 करोड़ आवंटित किये जाएंगे।

डीआईडीएफ	
गतिविधियाँ	इस परियोजना के तहत दूध को ठंडा रखने के लिये बुनियादी संरचना स्थापित करके और दूध में मिलावट की जाँच के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करके, प्रसंस्करण सुविधा का निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार करके दूध की खरीद के लिये एक कारगर प्रणाली विकसित की जाएगी और दुग्ध संघों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों के लिये मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के लिये शिक्षण संस्थान स्थापित करने पर ज़ोर दिया जाएगा।
प्रबंधन	■ यह परियोजना अपनी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले दुग्ध संघों, राज्य दुग्ध परिसंघों, बहु-राज्य दुग्ध सहकारिताओं, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और एनडीडीबी सहायक संस्थाओं जैसे अंतिम ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के माध्यम से सीधे तौर पर राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय दुग्ध विकास सहकारिता (एनसीडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ■ एनडीडीबी, आणद स्थित एक कार्यान्वयन और निगरानी प्रकोष्ठ परियोजना संबंधी दैनिक गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी का प्रबंध करेगा। ■ अंतिम ऋण प्राप्तकर्त्ता प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक तौर पर 2 वर्ष की रियायत सहित पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्ष होगी। ■ संबंधित राज्य सरकार ऋण के भुगतान की गारंटी देगी। यदि मंज़ूर की गई परियोजना के लिये अंतिम उपभोक्ता अपने हिस्से का योगदान करने में समर्थ नहीं है तो राज्य सरकार इसका योगदान करेगी।
लाभ	■ इस निवेश के साथ लगभग 50,000 गाँवों के 95,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। ■ इससे 126 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, 210 एमटी प्रतिदिन दूध सुखाने की क्षमता, प्रतिदिन 140 लाख लीटर दूध को शीतल बनाने की क्षमता के सृजन के साथ-साथ दूध में मिलावट की जाँच के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रतिदिन 59.78 लाख लीटर दूध के मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के विनिर्माण क्षमता के समकक्ष क्षमता तैयार होगी। ■ प्रारंभ में 39 दुग्ध संघों के साथ विभाग 12 राज्यों के 39 मुनाफा कमाने वाले दुग्ध संघों के साथ परियोजना की शुरुआत करेगा, अन्य दुग्ध सहकारी संस्थाएँ, जो अपने कुल संसाधन और मुनाफा स्तर के आधार पर बाद के वर्षों में पात्र बन जाएंगी, वे डीआईडीएफ के अधीन ऋण के लिये आवेदन करेंगी। ■ मौजूदा टीयर I, II और III से टीयर IV, V और VI वाले नगरों/शहरों आदि से दूध और दुग्ध उत्पाद विपणन संचालन के विस्तार के कारण लगभग 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इससे दुग्ध सहकारी संघों द्वारा अधिक संख्या में विपणन कर्मचारी तैनात किये जाएंगे, वितरक नियुक्त होंगे और शहरी/ग्रामीण जगहों में अतिरिक्त दूध के बूथ और खुदरा दुकानें खुलेंगी। ■ दुग्ध सहकारी संस्थाओं की ओर से दूध खरीद संचालनों में वृद्धि के साथ दूध की खरीद से जुड़े संचालनों में वृद्धि, गाँवों से लेकर प्रसंस्करण इकाइयों तक दूध के परिवहन और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, पशु पालन सेवाओं आदि जैसी सेवाओं का वितरण बढ़ने से लोगों को अतिरिक्त रोज़गार मिलेंगे।

विश्व व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation–WTO) के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 10 से 13 दिसंबर, 2017 के बीच संपन्न हुआ। वार्त्ता में भारत और चीन ने विकसित देशों द्वारा प्रदान की जा रही फॉर्म कृषि सब्सिडी को समाप्त करने के लिये संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली फॉर्म कृषि सब्सिडी सबसे अधिक व्यापार-विकृत रूपों में से एक है।

प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

- भारत और चीन का यह संयुक्त प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में 'समग्र उपाय समर्थन' (Aggregate Measurement of Support) या 'एम्बर बॉक्स' सब्सिडी को प्रति संतुलित करने के लिये लाया गया है। स्मरणीय है कि डब्ल्यूटीओ में 'एम्बर बॉक्स' प्रणाली की व्यवस्था विकासशील देशों द्वारा अपने किसानों को दी जा रही कृषि सब्सिडी को लक्षित कर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्राज़ील के नेतृत्व में समृद्ध देशों द्वारा की गई थी।
- विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को विकासशील देशों के लिये वर्तमान में अनुमन्य 10 प्रतिशत कृषि सब्सिडी की तुलना में अधिक कृषि सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जबकि 'एम्बर बॉक्स' सब्सिडी के तहत विकासशील देश केवल 5 प्रतिशत तक ही सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं।

- भारत में उत्पादित और निर्मित खाद्य उत्पादों हेतु ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में होने वाले व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- मेगा फूड पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिये नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत ₹2000 करोड़ का विशेष कोष भी स्थापित किया है।
- खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा शीत शृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) के अंतर्गत लाया गया है, जिससे कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का निर्माण।
- अल्कोहल युक्त पेय के अलावा अन्य सामग्रियों के मामले में लाइसेंस लेने की अनिवार्यता पूर्णतः समाप्त।
- ऋण देने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित।
- इनमें 100% तक ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति है।
- फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण पर उत्पाद कर समाप्त।
- फ्रीजर वैन पर सीमाशुल्क 12.5% से घटाकर 6% किया गया है।
- फल उत्पाद आदेश (Fruit Products Order) का कार्यान्वयन।
- माँस खाद्य उत्पाद आदेश का कार्यान्वयन।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का कार्यान्वयन।
- इनके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (Agricultural Produce Market Committee Act–APMC Act) में संशोधन तथा वैट (VAT) में कमी लाने का सुझाव दिया है।
- सरकार द्वारा एकीकृत कोल्ड चेन (Integrated Cold Chain) का निर्माण, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है, ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकी जा सके तथा इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

मीडिल टर्म एक्सपेंडेचर फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क (Medium Term Expenditure Framework–MTEF) को प्रस्तुत किया।

क्या है *MTEF?*

- मध्यम अवधि व्यय की रूपरेखा वक्तव्य, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक वक्तव्य है।
- एमटीईएफ में व्यय संकेतकों के लिये आधारभूत अनुमानों और संबंधित जोखिमों की व्याख्या के साथ 3 वर्षों का चल-लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- एमटीईएफ मूलतः वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत राजकोषीय रूपरेखा में व्यय संबंधी अनुमानों का ऊर्ध्व विस्तार है।
- इसका उद्देश्य बजट और एफआरबीएम लक्ष्यों में सामीप्य स्थापित करना है। यह राजकोषीय प्रबंधन को मध्यावधिक संदर्श (Perspective) प्रदान करता है और राजकोषीय समेकन के लिये सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।
- एमटीईएफ, बजट फ्रेमवर्क परिपत्र के साथ अगले बजट की योजना बनाने के लिये आधार मुहैया कराता है।
- इस विवरण को संसद के जिस सत्र में बजट प्रस्तुत किया गया हो, उसके ठीक बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

एमटीईएफ के प्रमुख बिंदु	
पेट्रोलियम	केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि वह आने वाले 3 वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को आधे से भी कम करने में सक्षम होगी। इसके लिये केंद्र सरकार ने मार्च 2018 तक एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिये मार्च 2018 तक सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में प्रतिमाह ₹4 बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार केरोसीन के लिये दी जाने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत लाने का भी प्रयास कर रही है, सरकार द्वारा कुछ राज्यों को केरोसीन मुक्त राज्य घोषित किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
खाद्यान्न	केंद्र सरकार ने खाद्यान्न सब्सिडी के 2019-2020 तक 1.75 लाख करोड़ से ₹2 लाख करोड़ पहुँचने का अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा इसका मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा 'राष्ट्रीय लघु बचत फंड' (National Small Savings Fund) को किया गया पुनर्भुगतान बताया गया है।
राजस्व व्यय	2019-20 तक सरकार का राजस्व व्यय आंशिक रूप से बढ़कर ₹2205772 करोड़ होने का अनुमान मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क में लगाया गया है।
पूंजीगत व्यय	सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिये रक्षा, रेलवे, सड़क परिवहन और शहरी विकास पर व्यय को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आधारभूत ढाँचे में सरकारी खर्च की ऊपरी सीमा को वर्ष 2019-20 तक 25% बढ़ाकर ₹3.9 लाख करोड़ किये जाने का अनुमान व्यक्त किया है।
कराधान	विमुद्रीकरण के बाद कर चोरी की सतर्क निगरानी और जीएसटी लागू होने के बाद सरकार को अगले 2 वर्षों में कर आधार में विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे कर-जीडीपी अनुपात वर्ष 2018-19 में 11.6% व 2019-20 में 11.9% रहने का अनुमान लगाया गया है।

23. MTEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. MTEF मूलत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत राजकोषीय रूपरेखा में व्यय संबंधी अनुमानों का ऊर्ध्व विस्तार है।
 2. MTEF, बजट फ्रेमवर्क परिपत्र के साथ अगले बजट की योजना बनाने के लिये आधार मुहैया कराता है।

 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

24. हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के दिशा-निर्देश में नवगठित 'ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी' ने भारत को शामिल करने की घोषणा की। फॉरेक्स (विदेशी विनिमय बाज़ार) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. फॉरेक्स एक वैश्विक ऑनलाइन बाज़ार है, जिसमें प्रतिभागी विभिन्न मुद्राओं में खरीद, बिक्री, विनिमय तथा उन पर अटकलें लगाने में समर्थ होते हैं।
 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिये विभिन्न मुद्राओं के रुपांतरण का कार्य फॉरेक्स द्वारा किया जाता है।
 3. फॉरेक्स बाज़ार चौबीसों घंटे खुले रहते हैं।

 नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
 (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

25. केंद्र सरकार द्वारा पहली बार निर्यात के लिये व्यापार बुनियादी ढाँचा योजना के अंतर्गत शामिल प्रस्तावों को दी गई मंज़ूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
 1. इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल (ICT)।
 2. कर्नाटक में समुद्र निर्यात के लिये आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण।
 3. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई 'स्टैंडर्ड डिज़ाइन फैक्ट्री' का निर्माण।

 नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
 (a) केवल 1
 (b) केवल 1 और 3
 (c) केवल 2 और 3
 (d) 1, 2 और 3

26. 'मेरिट' पोर्टल के क्रियान्वित होने पर निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता नहीं है?
 (a) उपभोक्ता सशक्तीकरण तथा सहभागी प्रशासन को बढ़ावा।
 (b) उपयोगिता पोर्टफोलियो और उसकी जटिलता को कम करना।
 (c) संचालन में मितव्ययता और दक्षता की कमी।
 (d) आपूर्ति पक्ष में विश्वसनीयता, पर्याप्तता और बिजली खरीद लागत को निर्देशित करना।

27. कैबिनेट द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र की दो बड़ी सरकारी कंपनियों–ONGC व HPCL के विलय को दी गई मंज़ूरी से निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संभावित फायदा कौन-सा है?
 (a) तेल क्षेत्र का सशक्तीकरण नहीं होगा।
 (b) ऐसी कंपनियों का निर्माण होगा जो संसाधनों के लिहाज़ से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकती है और तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव से बहुत प्रभावित नहीं होगी।
 (c) नई कंपनी को आपूर्तिकर्त्ता से मोल-भाव करने की अधिक आज़ादी पर पाबंदी लगेगी।
 (d) कंपनी संसाधनों के अधिग्रहण और खनन के लिहाज़ से कौशल को सीमित कर पाएंगी।

28. हाल ही में जैविक खाद्य पदार्थों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मसौदा नियमों को जारी किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने व बढ़ावा देने के लिये खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु एक नोडल वैधानिक एजेंसी है।
 2. यह प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
 3. इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।

 नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
 (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की समाप्ति के संभावित लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह भारत को निवेश का आकर्षक स्थल बनाने के लिये FDI नीतियों के उदारीकरण का एक आवश्यक पहलू है। इससे इस क्षेत्र में व्याप्त लालफीताशाही की समाप्ति में मदद होगी।
 2. इसी समाप्ति से सरकार में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' सिद्धांत का पालन करते हुए व्यापार करने में सुगमता आएगी।

 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1. (a)	2. (d)	3. (c)	4. (b)	5. (d)
6. (d)	7. (a)	8. (a)	9. (b)	10. (a)
11. (c)	12. (a)	13. (c)	14. (a)	15. (c)
16. (a)	17. (d)	18. (b)	19. (b)	20. (d)
21. (b)	22. (b)	23. (c)	24. (d)	25. (d)
26. (c)	27. (b)	28. (d)	29. (c)	

3 रिपोर्ट एवं सूचकांक
(Reports and Indexes)

विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विधि आयोग ने अपनी 273वीं रिपोर्ट में भारत सरकार से "अत्याचार व अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के ख़िलाफ़ कन्वेंशन" (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) को मंज़ूरी प्रदान करने की सिफारिश की है।
- इसके अतिरिक्त, विधि आयोग ने किसी व्यक्ति को यातना देने के दोषी पाये गए सरकारी अधिकारी को जीवनपर्यंत जेल की सज़ा दिये जाने की भी सिफारिश की है।

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में केंद्र सरकार ने कन्वेंशन को मंज़ूरी देने के मुद्दे की जाँच के लिये विधि आयोग से कहा था।

प्रमुख अनुशंसाएँ

- भारत सरकार को अत्याचार व क्रूर, अमानवीय व्यवहार के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि करनी चाहिये क्योंकि इससे संबंधित किसी कानून के अभाव में भारत को विदेशों से अपराधियों के प्रत्यर्पण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **यातना रोकथाम विधेयक, 2017:** यह विधेयक सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को यातना देने से रोकने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। विधेयक में यातना देने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी सज़ा के प्रावधान रखे गए हैं। ऐसे कर्मचारियों को दोषी पाये जाने पर भारी जुर्माने और आजीवन कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
- **क्षतिपूर्ति:** विधि आयोग ने अनुशंसा की है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को क्रमशः मुआवज़े और 'बर्डन ऑफ प्रूफ' के प्रावधानों को समायोजित करने के लिये संशोधनों की आवश्यकता है।
- आयोग ने भारतीय दंड संहिता में दिये गए दंड के अतिरिक्त मुआवज़े का भुगतान करने के लिये धारा 357B में संशोधन करने की सिफारिश की है।
- पीड़ितों के लिये मुआवज़ा तय करते समय अदालतों को विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रकृति, उद्देश्य व पीड़ित व्यक्ति की मानसिक पीड़ा सहित चोटों के प्रकार आदि को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत मुआवज़े पर फैसला करना चाहिये।
- इसके साथ ही अदालतों को पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि दिया गया मुआवज़ा चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के खर्चों को वहन करने में सहायता करेगा।
- **बर्डन ऑफ प्रूफ:** विधि आयोग ने राज्य की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को हुई शारीरिक क्षति के लिये राज्य एवं उसके कर्मचारियों को ज़िम्मेदार बनाया है।
- आयोग का मानना है कि राज्य के संप्रभुता संबंधी अधिकार किसी व्यक्ति के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।
- आयोग ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नई धारा 114B जोड़ने की अनुशंसा की है जिससे यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचती है तो यह साबित करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की होगी कि व्यक्ति को शारीरिक चोट पुलिस अभिरक्षा में नहीं लगी है।

अत्याचार व अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन

इसे सामान्यतः अत्याचार के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention Against Torture–UNCAT) के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में एक ***अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि*** है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में अत्याचार व क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के अन्य कृत्यों को रोकना है। यह सदस्य राष्ट्रों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी क्षेत्र में यातना व अत्याचार के किसी भी प्रकार को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने के लिये ***बाध्य*** करती है। यह सदस्य राष्ट्रों को किसी व्यक्ति को ऐसे देश में प्रत्यर्पित करने से रोकती है जहाँ उस व्यक्ति को यातना दिये जाने की संभावना प्रबल हो।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट–2017 *(World Happiness Report–2017)*

विश्व खुशहाली रिपोर्ट के द्वारा विश्व में खुशहाली के स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (United Nations Sustainable Development Solutions Network) (संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय) द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अध्ययन से विभिन्न राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन किया जाता है। वर्ष 2012 की प्रथम खुशहाली रिपोर्ट के बाद विश्व में आर्थिक विकास के साथ-साथ खुशहाली को भी अधिक महत्ता दी जाने लगी है।

यूएनएड्स (UNAIDS) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

एचआईवी और एड्स पर यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम (यूएनएड्स) की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **'एड्स की समाप्ति:** 90-90-90 के लक्ष्य की ओर प्रगति' (Ending AIDS: Progress towards the 90–90–90 target) नामक रिपोर्ट इस प्रगति का वार्षिक स्कोर कार्ड है। विश्व स्तर पर एड्स से होने वाली मौतों में वर्ष 2005 के बाद से उल्लेखनीय कमी दर्ज़ की गई है। एड्स के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में 2005 (1.9 मिलियन) की तुलना में 2016 (1 मिलियन) में गिरावट दर्ज़ की गई थी।



- 2015 तक 15 मिलियन लोगों के उपचार के लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है और अब वर्ष 2020 के लक्ष्य को पूरा करने के लिये 30 मिलियन लोगों को एचआईवी के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।
- वर्ष 2016 में 36.7 मिलियन एचआईवी पॉज़िटिव रोगियों में से 19.5 मिलियन रोगियों को उपचार सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2016 में एचआईवी रोगियों के अधिकतर मामले (तकरीबन 95%) केवल 10 देशों में ही देखे गए थे। इन 10 देशों में भारत भी शामिल था।
- यद्यपि विश्व, वर्ष 2020 तक 30 मिलियन लोगों को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, परन्तु उसके इस लक्ष्य में रोगियों की दवाओं तक पहुँच न होना एक सबसे बड़ी बाधा है।
- वर्ष 2016 में 1.8 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित थे। यद्यपि यह संख्या वर्ष 1997 (इस वर्ष 3.2 मिलियन लोग इससे संक्रमित हुए) की तुलना में बहुत कम थी, परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2010 से नए संक्रमणों की संख्या में केवल 16% की ही कमी आई थी।

भारत की स्थिति

- वर्ष 2016 के आँकड़ों के अनुसार भारत में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 2.1 मिलियन है, जबकि यहाँ प्रतिवर्ष एचआईवी संक्रमण के लगभग 80,000 नए मामले दर्ज़ किये जाते हैं। वर्ष 2005 में एचआईवी संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1,50,000 थी।
- भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि यहाँ एचआईवी संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। इस स्थिति में और सुधार करने में बौद्धिक संपदा अधिकार और नवाचार के संबंध में जागरूकता, लोगों के स्वास्थ्य, दवाओं के विकास और विनिर्माण, अनुसंधान और मूल्यों के संबंध में बाज़ारों की असमर्थता को दूर करना, बेहतर माध्यम हो सकता है।

90-90-90 लक्ष्य

90-90-90 के लक्ष्य के पीछे एचआईवी पॉज़िटिव लोगों में से 90% लोगों के रोग की जाँच करना, जाँच किये गए एचआईवी पॉज़िटिव लोगों में से 90% को एंटीरेट्रोवायरल उपचार देना जबकि एंटीरेट्रोवायरल उपचार प्राप्त लोगों में से 90% को इस संक्रमण से मुक्त करना है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब एचआईवी पॉज़िटिव रोगी का संक्रमण एक ऐसे स्तर पर पहुँच जाए जहाँ पर उसे नियंत्रित किया जा सकता हो।

UNAIDS

- एचआईवी और एड्स पर यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम (यूएनएड्स) वैश्विक एचआईवी/एड्स महामारी पर त्वरित, व्यापक और समन्वित कार्रवाई के लिये मुख्य संस्था है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है।

बाल मजदूरी पर क्राई (CRY) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

क्राई (Child Rights and You–CRY) संगठन ने हाल ही में बाल मज़दूरी पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5-6 वर्ष की आयु वर्ग के 8 लाख से अधिक बच्चे बाल मज़दूरी में लगे हुए हैं।

CRY (Child Rights and You)

- यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जो वंचित बच्चों के उत्थान की दिशा में कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना 1979 में रिप्पन कपूर के द्वारा की गई थी।
- इसका विज़न ऐसे खुश, स्वस्थ व रचनात्मक बच्चों का विकास करना है जिनके अधिकार ऐसे समाज में संरक्षित हैं, जो गरिमा, न्याय व समता पर आधारित है।

4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे (International Issues)

रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 11 दिसंबर, 2017 को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 15वें रूस-भारत- चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय बैठक की।

त्रिपक्षीय बैठक के प्रमुख मुद्दे

- इस त्रिपक्षीय बैठक में तीन देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा आतंकवाद तथा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक परिदृश्य के विषय में चर्चा हुई।
- इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर की चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, अवैध नशीली दवाओं की तस्करी, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर भी चर्चा हुई।
- ध्यातव्य है कि डोकलाम विरोध के बाद चीन से भारत की यह पहली उच्च स्तरीय वार्त्ता है।
- चीनी विदेश मंत्री वांग यी द्वारा इस सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य भी अहम है कि *"भारत-चीन के बीच रणनीतिक हित छोटे-मोटे गतिरोधों के मुकाबले बहुत बड़े हैं।"*

एपेक सम्मेलन-2017

चर्चा में क्यों?

अभी हाल ही में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले 21 राष्ट्रों का एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-pacific Economic Cooperation–APEC) संगठन का 29वाँ सम्मेलन वियतनाम के दा नंग (Da Nang) में आयोजित हुआ।

विषय

वैश्विक परिदृश्य में हो रही आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में इस वर्ष का विषय "साझा भविष्य को बढ़ावा देने के लिये नई गतिशीलता का निर्माण" (Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future) निर्धारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वियतनाम द्वारा एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी दूसरी बार की गई। इससे पहले 2006 में वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन हुआ था।
- वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला यह सम्मेलन 2018 में पापुआ न्यू गिनी में आयोजित होगा।
- इस शिखर सम्मेलन में सहयोगी गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया। इसमें छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन व समर्थन देने के साथ-साथ सतत् विकास की बात की गई। इसमें आर्थिक एकीकरण के पक्ष पर भी बल दिया गया।
- वैसे, अमेरिका व चीन जैसे आर्थिक संपन्न देशों की आर्थिक एकीकरण के प्रति मतभिन्नता भी देखी गई। इस दिशा में चीन ने जहाँ वैश्वीकरण के लिये समर्थन व्यक्त किया, वहीं अमेरिका ने निष्पक्ष व्यापार के पक्ष को वरीयता देने का पक्ष रखा।

एपेक

- एपेक 21 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी।
- वर्ष 2015 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एपेक सदस्य देशों का योगदान लगभग 59 प्रतिशत एवं वैश्विक व्यापार में इन देशों का हिस्सा 49 प्रतिशत था।
- वर्तमान में एपेक के 21 सदस्य हैं जिनमें से 12 सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं अमेरिका) वर्ष 1989 में इसकी स्थापना के समय बने तथा इसके बाद ताइवान (चीनी ताइपे) हॉन्गकॉन्ग, चीन, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रूस एवं वियतनाम सदस्य बने।
- भारत एपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2017 को 14वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- शिखर सम्मेलन में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार, विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ, प्रवसन, वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शोध एवं नवोन्मेष आदि विषयों पर चर्चा की।
- यूरोपीय संघ और भारत के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगाँठ की पृष्ठभूमि में आयोजित किये गए इस सम्मेलन में भारत व यूरोपीय संघ के मध्य तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए-
 - भारतीय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एवं यूरोपियन रिसर्च काउंसिल के मध्य भारतीय शोधकर्त्ताओं को अनुदान उपलब्ध कराने के लिये समझौता;

संयुक्त राष्ट्र की दो सहायक संस्थाओं के लिये भारत का चयन

सामाजिक और आर्थिक मसलों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की दो सहायक संस्थाओं के चुनाव में अन्य देशों के साथ भारत को भी सदस्य चुना गया है। इन दोनों संस्थाओं में बतौर सदस्य भारत के साथ 12 अन्य देश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (United Nations Economic and Social Council- ECOSOC) की सहायक संस्था-कार्यक्रम और समन्वय समिति (Committee for Programme & Coordination-CPC) के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

- भारत को एशियाई समूह में सर्वाधिक मत हासिल हुए। ईसीओएसओसी के 50 में से 49 सदस्यों ने सीपीसी के लिये भारत के पक्ष में वोट किया।
- सीपीसी में 3 साल के लिये चुने गए 13 देशों में भारत के अलावा बुर्किना फासो, ईरान, जापान, पाकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया, मालडोवा, ब्राज़ील, चिली, क्यूबा, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2018 से शुरू होगा।
- भारत के साथ 19 अन्य देश इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिये चुने गए हैं। इसके लिये इनका 4 साल का कार्यकाल जनवरी 2018 से शुरू होगा।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंकटाड की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंतरसरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- यह संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद् के अधीन कार्य करती है।
- अंकटाड का उद्देश्य विकासशील देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा व संवर्द्धन करना तथा सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की व्यापार व विकास नीतियों में सामंजस्य लाना है। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह निम्न विषयों एवं क्षेत्रों में सदस्य देशों को रणनीतिक सहायता उपलब्ध कराता है-
 - सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने एवं उनकी पण्य वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिये;
 - वित्तीय उतार-चढ़ाव और ऋण के लिये उनके जोखिम को कम करके;
 - अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये अनुकूल नीतियों के निर्माण में सहायता देकर;
 - डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बढ़ाने में;
 - उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देकर;
 - देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना;
 - जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देकर।

मोंटेनेग्रो नाटो का 29वाँ सदस्य बनेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोंटेनेग्रो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization-NATO) के 29वें सदस्य के रूप में शामिल करने को मंज़ूरी दे दी है। इसे पूर्वी यूरोप में रूस के हस्तक्षेप के प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने लगभग 6 लाख की जनसंख्या वाले इस देश को एक भू-रणनीतिक सहयोगी के तौर पर देखा है। एक समय में मोंटेनेग्रो यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा था।

अमेरिकी सीनेट में एक प्रक्रिया के तहत इस छोटे बाल्कन राष्ट्र मोंटेनेग्रो को नाटो गठबंधन में शामिल करने की संधि के पक्ष में मतदान हुआ, जिसमें पक्ष में 97 और विरोध में 2 वोट पड़े। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अमेरिकी सीनेट के नेताओं से इसे अमेरिका के हित में बताते हुए मोंटेनेग्रो को नाटो गठबंधन में नए सदस्य के रूप में अनुमोदन करने का आग्रह करने के लिये पत्र लिखा था।

- नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और फ्रेंच तथा इंग्लिश इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं।

नाटो क्या है?

यह एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन (A Political and Military Alliance) है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च, 1948 को हुई ब्रुसेल्स की संधि से मानी जाती है। यह संधि बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्राँस और लक्ज़मबर्ग के बीच हुई थी, लेकिन यह महसूस किया गया कि तत्कालीन सोवियत संघ की सैन्य क्षमता का मुकाबला करने के लिये इसमें अमेरिका का शामिल होना ज़रूरी है। अमेरिका के साथ चली लंबी वार्त्ता के बाद हुई एक नई संधि पर 4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन डी.सी में हस्ताक्षर किये गए। इस नई संधि पर ब्रुसेल्स संधि के पाँच देशों- बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्राँस, लक्ज़मबर्ग के अलावा अमेरिका, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड ने भी हस्ताक्षर किये। इसे नया नाम दिया गया- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization- NATO)।

नाटो के सदस्य देश: 1. बेल्जियम, 2. नीदरलैंड, 3. ब्रिटेन, 4. फ्राँस, 5. लक्ज़मबर्ग, 6. अमेरिका, 7. पुर्तगाल, 8. नॉर्वे, 9. इटली, 10. कनाडा, 11. डेनमार्क, 12. आइसलैंड, 13. अल्बानिया, 14. ग्रीस, 15. जर्मनी, 16. हंगरी, 17. पोलैंड, 18. तुर्की, 19. स्पेन, 20. स्लोवेनिया, 21. स्लोवाकिया, 22. लिथुआनिया, 23. रोमानिया, 24. क्रोएशिया, 25. चेक गणराज्य, 26. लातविया, 27. बुल्गारिया, 28. एस्टोनिया।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(Science and Technology)

किलोग्राम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में फ्राँस के सेवर्स में मेट्रोलॉजी संस्थानों के प्रमुखों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में माप की इकाइयों की अनुशंसित SI प्रणाली (International System of Units) के तहत किलोग्राम के मापन के लिये संशोधित परिभाषा को अपनाने की संस्तुति की गई।
- मापन की परिभाषा में बदलाव के बारे में अंतिम फैसला इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेज़र्स (International Bureau of Weights and Measures) की नवंबर 2018 में होने वाली जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा। मापन में होने वाले प्रस्तावित बदलाव के वर्ष 2019 में लागू होने की संभावना है।

बदलाव की आवश्यकता क्यों?

- वर्तमान में किलोग्राम के मापन के लिये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के सेवर्स स्थित मुख्यालय में प्लेटिनम व इरिडियम मिश्रधातु के बने एक सिलेंडर को किलोग्राम के आदर्श के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिलेंडर 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम का बना हुआ है। दुनिया भर में किलोग्राम के मानक के रूप में इसका या इसके प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है।
- लेकिन किलोग्राम के इस मानक सिलेंडर का वज़न समय के साथ सतह के दूषित होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तित होता रहता है जिससे मानक किलोग्राम में निहित सटीक द्रव्यमान की गणना करने में कठिनाई होती है। इसके चलते वैज्ञानिक प्रयोगों एवं सूक्ष्म औद्योगिक कार्यों में त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये दवाओं के निर्माण में अत्यधिक सटीक मापन की आवश्यकता होती है।

प्रस्तावित बदलाव

- वैज्ञानिकों का मानना है कि भार एवं मापन की विभिन्न मानक इकाइयों को परस्पर अंतर्संबंधित प्राकृतिक स्थिरांकों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिये।
- इसलिये किलोग्राम की परिभाषा को 'मीटर' व 'सेकंड' की परिभाषा के साथ अंतर्संबंधित कर प्लैंक स्थिरांक के आधार पर निर्मित किया गया है।
- किलोग्राम के संदर्भ में 'किबल बैलेंस' नामक एक इलेक्ट्रोमेकेनिकल मापन उपकरण का प्रयोग प्लैंक स्थिरांक का सटीक मान निकालने के लिये किया जाता है।
- यह उपकरण विभिन्न स्केल्स का सेट होता है जिसमें परीक्षित वस्तु के द्रव्यमान को संतुलित करने के लिये चुंबकीय क्षेत्र में, तारों के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा एवं वोल्टेज द्वारा उत्पादित बल की गणना की जाती है। दूसरे शब्दों में, परीक्षित वस्तु का द्रव्यमान विद्युत धारा एवं वोल्टेज द्वारा उत्पादित बल के समानुपाती होता है जिसकी गणना वाट में जाती है।
- किबल बैलेंस द्वारा किसी वस्तु के वज़न को विद्युत धारा व वोल्टेज की शक्ति से बहुत सटीकता के साथ ज्ञात किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में SI प्रणाली की विभिन्न इकाइयों को परिभाषित करने के सिद्धांत में व्यापक बदलाव आया है। कई मानक इकाइयों, जैसे सेकंड, मीटर, एंपियर, केल्विन, कैन्डेला और मोल आदि को भौतिक वस्तुओं द्वारा परिभाषित करना बंद किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि SI प्रणाली की सात प्राथमिक इकाइयों को परस्पर अंतर्संबंधित करते हुए सात अलग-अलग प्राकृतिक स्थिरांकों के आधार पर निर्मित किया जाए।

सल्फर डाइऑक्साइड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने अपने नवीनतम शोध में बताया कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में विश्व का शीर्ष राष्ट्र बनने वाला है।

SO_2 क्या है?

- सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंधयुक्त विषैली गैस के साथ-साथ तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला एक वायु प्रदूषक है।
- इसके कारण अम्लवर्षा, धुंध एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह वातावरण के प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर (PM) में वृद्धि करता है।
- यह ज़्यादातर कोयले के जलने एवं औद्योगिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है।

इस शोध में प्रयुक्त विधियाँ

- सबसे पहले कई सारे कारखानों, विद्युत संयंत्रों एवं ऑटोमोबाइल उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन संबंधी आँकड़ों को सावधानी से संगृहीत किया गया।
- दूसरे चरण में नासा के ऑरा (Aura) उपग्रह के ओज़ोन मॉनिटरिंग इन्स्ट्रूमेंट (OMI) द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सहित विभिन्न प्रदूषकों के आँकड़े तैयार किये गए।

जीएसएलवी मार्क-III डी1/जीसैट 19

जीएसएलवी मार्क-III डी1

चर्चा में क्यों?

- 5 जून, 2017 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने जीएसएलवी मार्क-III डी1 रॉकेट से जीसैट-19 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
- जीएसएलवी मार्क-III डी1 भारत का अब तक का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, जिसका कुल वज़न 640 टन और लंबाई 43.43 मीटर है।
- इस प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया।
- यह प्रक्षेपण यान 4 टन के पेलोड को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit) और 10 टन के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा (Lower Earth Orbit) में स्थापित करने में सक्षम है। यह क्षमता मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिये पर्याप्त है।
- जीएसएलवी मार्क-III डी1 के सफल प्रक्षेपण से पूर्व भारत को 4 टन वज़नी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिये 'यूरोपीय स्पेस एजेंसी' के एरियन-5 रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ता था।

जीसैट-19 संचार उपग्रह

- 3136 किलोग्राम वज़नी यह उपग्रह इसरो द्वारा 'घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट' से छोड़ा जाने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है।
- इस संचार उपग्रह में उच्च क्षमता के **'का' (Ka) और 'कू' (Ku) बैंड** के संचार ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं।
- जीसैट-19 उपग्रह से डीटीएच व टी.वी. प्रसारण सेवा, व्यावसायिक संचार सेवाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन, विलेज रिसोर्स सेंटर, मोबाइल संचार, आपदा व सामरिक संचार में मदद मिलेगी।
- इस उपग्रह में एक 'जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर' **(GRASP)** नामक उपकरण लगाया गया है। यह उपकरण उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अंतरिक्ष में होने वाले विकिरण के प्रभाव एवं आवेशित कणों की प्रकृति की जाँच करेगा।
- इसका जीवनकाल 10 वर्षों का होगा।

पीएसएलवी-सी38/कार्टोसैट-2

पीएसएलवी-सी38

चर्चा में क्यों?

- 23 जून, 2017 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पीएसएलवी-सी 38 से 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया।
- पीएसएलवी-सी38 के माध्यम से 712 किग्रा. वज़नी कार्टोसैट-2 शृंखला के रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ 30 नैनो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया।
- पीएसएलवी-सी38 का वज़न 320 टन व लंबाई 44.4 मीटर है। यह पीएसएलवी का लगातार 39वाँ सफल अभियान था।
- पीएसलवी सी-38 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों में 2 भारत के एवं शेष 29 उपग्रह विदेशी थे।
- दो भारतीय उपग्रहों में कार्टोसैट-2 के अलावा तमिलनाडु की 'नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी' द्वारा निर्मित नैनो उपग्रह 'एनआईयूसैट' भी शामिल है।
- इस मिशन में 14 देशों के 29 नैनो उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ये 14 देश निम्नलिखित हैं-

ऑस्ट्रिया, बेल्ज़ियम, चिली, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्राँस और अमेरिका।

ध्यातव्य है कि इससे पहले 15 फरवरी, 2017 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी 37 उपग्रह प्रक्षेपण यान से एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके विश्व कीर्तिमान बनाया था। इन 104 उपग्रहों का कुल वज़न 1378 किग्रा. था। भारत के कार्टोसेट-2 सीरीज़ के एक उपग्रह तथा 2 नैनो उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य 101 उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इज़रायल, कज़ाखस्तान तथा यूएई के 1-1 उपग्रह शामिल थे।

कार्टोसैट-2

- कार्टोसैट-2 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है।
- उपग्रहों की शृंखला का नवीनतम उपग्रह है।
- यह 0.6 मीटर की विभेदन क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें लेने में सक्षम है।
- इस उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरों का प्रयोग मानचित्रण, ग्रामीण एवं शहरी नियोजन, तटीय भूमि उपयोग, यातायात प्रबंधन, जल वितरण व भू-उपयोग के साथ ही भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के लिये किया जाएगा।

क्रायोजेनिक तकनीक

- क्रायोजेनिक तकनीक में अत्यंत कम तापमान पर पदार्थों के गुणधर्म, व्यवहार का अध्ययन एवं उनका उत्पादन किया जाता है।
- क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में -183° सेल्सियस पर द्रवित ऑक्सीजन व -253° सेल्सियस पर द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology)

बीएस VI

चर्चा में क्यों?

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बीएस-VI ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल, 2020 की बजाय 1 अप्रैल, 2018 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।

बीएस मानक

- वस्तुत: बीएस का अर्थ है- 'भारत स्टेज'। इसका संबंध स्पष्ट रूप से उत्सर्जन मानकों से है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन के उपकरण (मोटर वाहन समेत) से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को विनियमित करने के मानक हैं। ये मानक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किये जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में 'बीएस उत्सर्जन मानकों की शुरुआत की गई थी। इसे यूरोप के लिये बने यूरो एमिसन स्टैंडर्ड के आधार पर तैयार किया गया था जो तकरीबन पूरी दुनिया का ही उत्सर्जन मानक है। इसके अनुसार जो यूरो-4 है वही बीएस-4 है और जो यूरो-6 है वही बीएस-6
- हालाँकि, अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग भी हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में ये टीयर-1, टीयर-2 के रूप में होते हैं, वहीं यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्तुत: बीएस के साथ जो संख्या संलग्न होती है उससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि किससे कितना प्रदूषण फैलता है। यानी संख्या जितनी अधिक होगी प्रदूषण उतना कम होगा।

उत्सर्जक मानकों की आवश्यकता

- पेरिस जलवायु समझौते (कॉप-21) के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और इन्हें अधिक ईंधन कुशल बनाने के मद्देनज़र गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- भारत की सड़कों पर मौजूद लाखों वाहनों द्वारा उत्सर्जित सूक्ष्म निलंबित कणों (PM2.5 एवं PM-10), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडस और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रमुख प्रदूषकों का लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण न केवल श्वसन संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है बल्कि समयपूर्व मौतों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
- जहाँ एक ओर PM 2.5 जैसे कण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के कारण हो सकते हैं, वहीं वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में मौजूद हाइड्रोकार्बनों के साथ प्रतिक्रिया कर ज़मीनी स्तर पर खतरनाक ओज़ोन गैस बनाती है।
- येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरण सूचकांक में 178 देशों की सूची में भारत का स्थान 32 अंक गिरकर 155वाँ हो गया है।
- वायु प्रदूषण पर शीघ्र नियंत्रण न कर पाने की स्थिति में अकेले राजधानी दिल्ली में हज़ारों लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होगा।
- मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का एक सर्वे बताता है कि राजधानी में हर तीसरे व्यक्ति का फेफड़ा वायु प्रदूषण के कारण कमज़ोर हो चुका है।
- आधुनिक ईंधन और वाहन प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस संबंध में जल्द-से-जल्द कठोर एवं प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा था।
- इसलिये ही पूरे देश में बीएस-4 और अब दिल्ली में बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन शुरू करने की कवायद तेज़ हो गई है।

वर्तमान स्थिति

- अभी तक पूरे देश में यातायात ईंधन बीएस-IV (1 अप्रैल, 2017 से शुरू) लागू हैं। सरकार ने सभी हितधारकों के साथ काफी परामर्श करने के बाद इस दिशा में अगला कदम उठाया है। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि कोई भी वाहन निर्माता कंपनी और डीलर 1 अप्रैल, 2017 से बीएस-4 मानक पूरा न करने वाला वाहन भारत में नहीं बेचेगा और न ही ऐसा वाहन पंजीकृत किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा भारत में बीएस-IV से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीएस-VI ग्रेड को 1 अप्रैल, 2020 से लागू करने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार बीएस-V ग्रेड को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है। तेल शोधन कंपनियाँ बीएस-VI ग्रेड ईंधन के उत्पादन के लिये भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं।

बीएस-6 उत्सर्जन मानक के लिये अपेक्षित बदलाव

- बीएस-6 मानकों के लागू होने पर कारों के साथ-साथ ट्रकों, बसों जैसे भारी वाहनों में भी फिल्टर लगाने ज़रूरी होंगे।
- बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिये एक विशेष प्रकार के डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को लगाने की आवश्यकता होती है ताकि एग्ज़ॉस्ट (exhaust) से निकलने वाले सूक्ष्म निलंबित कणों को फिल्टर किया जा सके। इसके लिये वाहन के बोनट के अंदर ज़्यादा स्थान की आवश्यकता भी होगी।

असम	■ दीपोरबील
तमिलनाडु	■ पॉइंट कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य
त्रिपुरा	■ रुद्रसागर झील
मणिपुर	■ लोकटक झील (मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल)
उत्तर प्रदेश	■ अपर गंगा नदी (ब्रिजघाट से नरौरा)
पश्चिम बंगाल	■ पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि
मध्य प्रदेश	■ भोज आर्द्रभूमि
गुजरात	■ नल सरोवर पक्षी अभयारण्य (सबसे बाद में जोड़ा गया)

बुक्सा टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिज़र्व में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से बाघों के पुनर्स्थापन को मंज़ूरी दे दी है। उत्तरी बंगाल में स्थित बुक्सा टाइगर रिज़र्व में लगातार तीन दशकों से बाघों को नहीं देखा गया है।

बुक्सा टाइगर रिज़र्व के बारे में

- वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिज़र्व के रूप में पहचान मिली थी।
- लगभग 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह रिज़र्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में अवस्थित है।
- भूटान और असम के जंगलों से घिरे हुए इस आरक्षित क्षेत्र में स्तनपायी, सरीसृप और पक्षियों की अनेक प्रजातियों के अलावा मछलियों और तितलियों की भी सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- बुक्सा आर्द्र पर्णपाती तथा सदाबहार वनों से आच्छादित टाइगर रिज़र्व है, जो असम के मानस टाइगर रिज़र्व से निकटता रखता है।
- पहले यह सोचा गया था कि बाघों का यह पुनर्स्थापन बंगाल के ही क्षेत्र सुंदरबन से हो किंतु वहाँ की जटिल मैंग्रोव संरचना में पोषित बाघों के लिये यह रिज़र्व उपयुक्त नहीं हो सकता था, इसलिये असम की समान जलवायविक स्थिति को देखते हुए बाघों को वहीं से लाने की योजना बनाई गई।
- इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में बाघों की पुनर्स्थापना सफलतापूर्वक की जा चुकी है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority–NTCA)

- यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है।
- इसका गठन बाघ संरक्षण (प्रोजेक्ट टाइगर-1973) के उद्देश्य से किया गया है। इसकी शक्तियों व उत्तरदायित्वों का उल्लेख 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' (2006 में संशोधित) में किया गया है।
- इसके अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं।

एनटीसीए के कार्य व शक्तियाँ

- यह राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मान्यता प्रदान करता है।
- यह इस बात का प्रयास करता है कि बफर क्षेत्र में मानव व जंगली जानवरों के बीच संघर्ष न हो। यह सह-अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करता है।
- यह संरक्षण मानकों के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध कराता है तथा भविष्यगामी संरक्षण योजना भी तैयार करता है। बाघों की जनसंख्या का अनुमान करना, उनके आवास की दशा ज्ञात करना, बीमारियों की निगरानी, प्रजनन सर्वे इत्यादि कार्य एनटीसीए करता है।



हिम तेंदुआ संकटग्रस्त श्रेणी से बाहर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आई.यू.सी.एन. द्वारा हिम तेंदुए की संरक्षण स्थिति में सुधार किया गया है। इसकी संरक्षण स्थिति को 'लुप्तप्राय' से 'कमज़ोर' श्रेणी में तब्दील किया गया है। इस निर्णय को आई.यू.सी.एन. (International Union for Conservation of Nature–IUCN) द्वारा 'विलुप्त होने के जोख़िम का आकलन करने के लिये वैश्विक मानक' (Global Standard for Assessing Extinction Risk) के अंतर्गत घोषित किया गया है।

संबंधित तथ्य

- हिम तेंदुए के स्टेटस में परिवर्तन करने के लिये पाँच अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा 3 साल तक मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया गया।
- विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में यह चेतावनी जारी की गई है कि हिम तेंदुए के संरक्षण के संबंध में संचालित बहुत सी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद अभी भी इस प्रजाति के शिकार और निवास स्थान संबंधी गंभीर ख़तरों में विशेष कमी नहीं आई है।

प्रमुख बिंदु

- बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि एक वन्यजीव संरक्षण संगठन है, ने इन साइटों को 'महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता वाले क्षेत्र' के रूप में सूची में शामिल किया है।
- ये तीन साइटें हैं- बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, नवेलिम वेटलैंड्स और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। इसी के साथ गोवा के सात क्षेत्र अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्त्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र घोषित हो गए।

हॉटस्पॉट

- विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं।
- विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जो विश्व के कुल 2.3% भाग पर विस्तृत हैं और विश्व की 60% प्रजातियाँ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- 'हॉटस्पॉट' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉरमन मायर्स द्वारा किया गया।

नोट: हाल ही में 'नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लैन' को 36वाँ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित किया गया है।

- किसी भी स्थल को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने से उसकी कानूनी मान्यता सुनिश्चित नहीं होती है और न ही उन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को बंद किया जाता है।

बर्डलाइफ इंटरनेशनल (Birdlife International)

- बर्डलाइफ इंटरनेशनल 'प्रकृति संरक्षण साझेदारों' का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है, जिसके 121 सहयोगी संगठन हैं।
- इसकी स्थापना 1922 में 'पक्षी संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय समिति' के नाम से की गई थी। 1993 में इसका नाम वर्तमान अनुसार रखा गया।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल का प्रत्येक सहयोगी संगठन एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करता है जिसकी भिन्न पहचान और अपना अलग 'प्रतीक' (लोगो) होता है। ऐसा इसलिये किया गया है, ताकि प्रत्येक संगठन अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान बनाए रख सके। हालाँकि बर्डलाइफ के ये सहयोगी समूह आपसी समन्वय और सहयोग की भावना के साथ काम करते हुए एक वैश्विक भागीदारी तंत्र का निर्माण करते हैं।
- इस तरह बर्डलाइफ इंटरनेशनल पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखने का कार्य करता है। साथ ही पक्षियों, उनके आवासों और उनसे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर बर्डलाइफ इंटरनेशनल एक अग्रणी प्राधिकरण है।
- भारत में इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था 'बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी' (BNHS) है।
- यह 'महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र' (इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज–IBA) की पहचान कर उसकी निगरानी और संरक्षण का कार्य भी करता है।
- यह 'प्रकृति और लोगों के बीच परस्पर साझेदारी' पर अत्यधिक बल देता है। इस संस्था का 'स्थानीय से वैश्विक' (Local to Global) दृष्टिकोण लंबे समय तक पर्यावरण संरक्षण में प्रभावी सिद्ध होगा।

देश की प्रथम ईको-फ्रेंडली रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी

बाड़मेर ज़िले के पचपदरा में रिफाइनरी लगाने के लिये राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल के साथ एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह रिफाइनरी बीएस-6 मानकों पर बनेगी और इसमें बनने वाला डीजल, पेट्रोल बीएस-6 मानकों पर होगा जो बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। अभी देश में अधिकांश रिफाइनरी बीएस-3 या बीएस-4 मानकों पर ही चल रही हैं।

- यह रिफाइनरी देश की पहली पर्यावरण मित्र (Eco-Friendly) रिफाइनरी होगी।
- इस रिफाइनरी में वेस्ट के रूप में पैटकोक निकलेगा, जिसे बिजली बनाने के काम में लाया जाएगा।
- इससे लगभग 250 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी, जिसके लिये रिफाइनरी में ही विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा।
- बीएस-6 मानकों के कारण परियोजना की लागत ₹6 हज़ार करोड़ बढ़ गई है, इसके लिये लगभग ₹43,129 हज़ार करोड़ का बजट रखा गया है।
- इस रिफाइनरी में 30 साल तक उत्पादन हो सकेगा।
- कुल 90 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली इस रिफाइनरी में एचपीसीएल की 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
- नए सहमति-पत्र में बाहर से कच्चा तेल लाकर उत्पादन करने का भी प्रावधान रखा गया है, पहले यह प्रावधान नहीं था।
- काम शुरू होने के बाद 4 साल में रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाने की संभावना है।
- इस रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल हब भी बनेगा।

'पर्यावरण 2017' विषय पर विश्व सम्मेलन का आयोजन

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर दो-दिवसीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण

मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्त्वावधान में आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया तथा इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने की। वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार (वर्तमान में ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं) तथा तत्कालीन पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने भी इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, पर्यावरणविद्, वकील, शिक्षाविद् तथा अन्य लोग भी शामिल हुए।
- 'पर्यावरण 2017' विषय पर आयोजित इस विश्व सम्मेलन में कहा गया कि वर्तमान परिदृश्य में इस तरह के सम्मेलन अत्यंत सराहनीय हैं, क्योंकि इस तरह के सम्मेलनों में होने वाली चर्चा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में नए विचारों को पैदा करने में मदद करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं जलवायु से जुड़े विभिन्न संवेदनशील विषयों की ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान केंद्रित करती है।

अभ्यास प्रश्न

1. हाल ही में समाचारों में रहने वाले बुक्सा टाइगर रिज़र्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह रिज़र्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में अवस्थित है।
 2. इस रिज़र्व में लगातार तीन दशकों से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
 3. असम के मानस टाइगर रिज़र्व से निकटता रखने वाला यह रिज़र्व आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार वनों से आच्छादित है।

 उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1
 (b) केवल 1 और 2
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. हाल ही में आई.यू.सी.एन. द्वारा हिम तेंदुए की संरक्षण स्थिति में सुधार करते हुए इसे 'लुप्तप्राय' (Endangered) से 'कमज़ोर' (Vulnerable) की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है।
 2. हिम तेंदुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रथम अनुसूची में शामिल है।
 3. यह CITES के परिशिष्ट में भी शामिल है।

 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) केवल 1 और 2
 (d) 1, 2 और 3
3. हाल ही में चर्चा में रहे 'वुड इज़ गुड कैंपेन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'USAID फॉरेस्ट प्लस' के सहयोग से किया गया।
 2. इस अभियान का उद्देश्य जलवायु अनुकूल संसाधन के रूप में लकड़ी (Wood) को बढ़ावा देकर इस्पात और प्लास्टिक जैसी सामग्रियों को स्थानापन्न करना है।

 उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2
4. 'सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट' से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है?
 (a) जॉर्डन द्वारा शुरू किये गए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहाँ के रेत के टीलों को खेती योग्य भूमि में रूपांतरित किया जाएगा।
 (b) इज़राइल द्वारा अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में नया वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
 (c) सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का 100 प्रतिशत वित्तपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जा रहा है।
 (d) सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत सहारा मरुस्थल के लगभग 6 देशों को शामिल किया जाएगा।
5. हाल ही में समाचारों में रहे क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. भारत ने हाल ही में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि अथवा जलवायु परिवर्तन पर 'दोहा संशोधन' को अनुसमर्थित कर दिया।
 2. क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2020 तक है।
 3. क्योटो प्रोटोकॉल को अनुसमर्थन प्रदान करने वाला भारत 90वाँ देश है।

 उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

7 सुरक्षा (Security)

आई.एन.एस. कलवरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की प्रथम आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी (Modern Conventional Submarine) को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे भारतीय नौसेना हेतु मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह 'प्रोजेक्ट-75' के अंतर्गत मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जाने वाली स्कॉर्पीन क्लास की छः पनडुब्बियों में से प्रथम है, जिनका निर्माण फ्राँस के सहयोग से किया जा रहा है।
- 1500 टन वज़नी यह पनडुब्बी 300 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रगति को इंगित करती है।
- यह 'लोफार' (Low Frequency Analysis and Ranging- LOFAR) सोनार प्रणाली से युक्त है। साथ ही, आत्मरक्षा हेतु सी303/एस एंटी-टॉरपीडो डिकॉइस (C303/S anti-torpedo Decoys) तथा एस.एम. 39 एक्सोसेट (SM 39 Exocet) मिसाइल द्वारा हमला करने में सक्षम है।

ब्रह्मोस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान सुखोई से सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही भारत थल, जल और वायु से सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों में शुमार हो गया। इसके बाद अब भारतीय वायुसेना शत्रु के ठिकानों को लगभग 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है।

प्रमुख बिंदु

- ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा (Moskva) नदी के नाम पर रखा गया है।
- 'मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज़ीम' के प्रतिबंधों के कारण भारत और रूस द्वारा इस मिसाइल की रेंज वर्तमान में 290 किलोमीटर रखी गई है।
- वायुयान से दागने पर इसकी रेंज बढ़कर 400 किलोमीटर हो जाती है। स्मरणीय है कि भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज़ीम का हिस्सा बन जाने के बाद मिसाइलों की रेंज पर आरोपित सीमा अब समाप्त हो चुकी है।
- अतः भारत ब्रह्मोस के 450 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण का परीक्षण करने पर भी विचार कर रहा है।
- यह मिसाइल 300 किलोग्राम भार तक के परंपरागत एवं परमाणु हथियार ले जा सकती है।
- यह मिसाइल भूमिगत परमाणु बंकरों, शत्रु के दुर्गीकृत कमांड व कंट्रोल केंद्रों, समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे शत्रु विमानों को आसानी के साथ नष्ट कर सकती है।
- वर्तमान में यह विश्व की तीव्रतम सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इसकी गति 2.8 मैक है अर्थात् यह ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है।
- इस मिसाइल को नौसेना के जहाज़ों व पनडुब्बियों, वायुसेना के लड़ाकू जहाज़ों और ज़मीन आधारित मिसाइल बैटरियों से दागा जा सकता है।
- इस मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण विकसित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी गति लगभग 5 मैक होगी।

निर्भय मिसाइल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित लंबी दूरी की सबसोनिक गति से चलने वाली क्रूज़ मिसाइल 'निर्भय' का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस परीक्षण में मिसाइल ने 0.7 मैक (0.7 मैक = 864.36 किलोमीटर प्रति घंटा) की गति से धरातल से मात्र 100 मीटर की ऊँचाई पर उड़ान भरते हुए 647 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी महत्त्वपूर्ण संचालन मानकों, जैसे- बूस्टर फायर, पंखों का खुलना आदि को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- निर्भय मिसाइल में नियंत्रण, निर्देशन और नेविगेशन के लिये जीपीएस प्रणाली पर आधारित स्वदेशी डिज़ाइन पर निर्मित रिंग लेज़र जायरोस्कोप और माइक्रो इलेक्ट्रोमेकेनिकल सिस्टम पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली लगाई गई है।
- निर्भय मिसाइल अपने साथ लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है व इसे कई प्लेटफॉर्मों, यथा-हवा, समुद्र और ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर है।

8

सामाजिक मुद्दे
(Social Issues)

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 'प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र' नामक एक नई योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही महिलाओं के लिये सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन नामक अंब्रेला योजना के तहत चलाई जा रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 की अवधि के लिये विस्तारित किया गया है।
- इसी बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के 161 ज़िलों में सफल क्रियान्वयन के आधार पर इस योजना का अखिल भारतीय स्तर पर सभी 640 ज़िलों में विस्तार करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

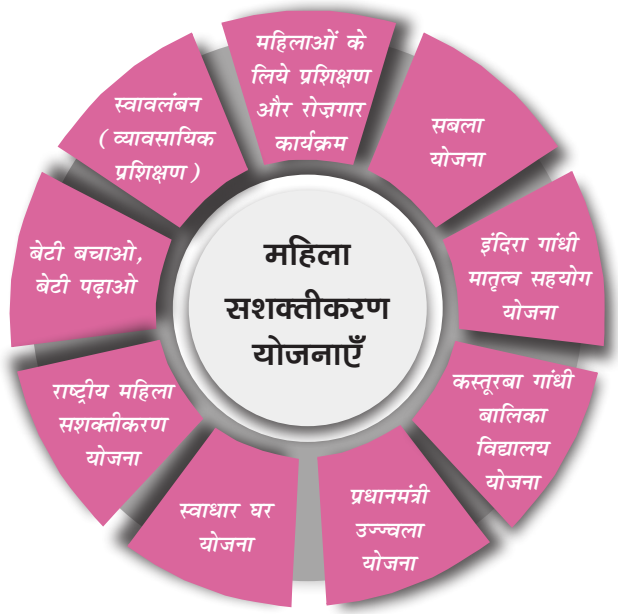
प्रमुख बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश को महिलाओं की क्षमता विकास के अनुकूल बनाना है। 2017-18 से लेकर 2019-20 के दौरान वित्तीय परिव्यय ₹ 3636.85 करोड़ होगा जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग ₹ 3084.96 करोड़ होगा।
- इस योजना का लक्ष्य देश में घटते हुए लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात कन्या शिशु की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी क्षमता विकास के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाना, ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों हेतु सरकार से संपर्क करने के लिये इंटरफेस प्रदान करना, महिलाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना, स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के इच्छुक विद्यार्थियों को लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करने वाले 'बदलाव के एजेंटों' के रूप में तैयार करना।
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की परिकल्पना विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिये की गई है- राष्ट्रीय स्तर पर ये केंद्र क्षेत्र आधारित ज्ञान सहायता प्रदान करेंगे व राज्य-स्तरीय केंद्र महिलाओं के लिये राज्य संसाधन केंद्रों के तौर पर कार्य करेंगे जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
- ज़िला और ब्लॉक-स्तरीय केंद्र महिला शक्ति केंद्र को सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही ये 640 ज़िलों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना को भी आधार प्रदान करेंगे।
- 115 अत्यधिक पिछड़े ज़िलों में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की खंड-स्तरीय पहलों को स्वयंसेवक विद्यार्थियों के माध्यम से सामुदायिक सेवा द्वारा पूरा किया जाएगा। स्थानीय कॉलेजों के तीन लाख से अधिक स्वयंसेवक विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
- ये स्वयंसेवक विद्यार्थी विभिन्न महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- स्वयंसेवक विद्यार्थियों द्वारा की गई सामुदायिक सेवा की वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
- कार्य समाप्ति पर सामुदायिक सेवा के प्रमाण-पत्रों को सत्यापन के लिये राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और प्रतिभागी विद्यार्थी भविष्य में इन्हें अपने संसाधन के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
- यह योजना महिलाओं को देश की प्रगति में समान साझेदार बनाने और स्वयंसेवक विद्यार्थियों के अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने व समुदाय की विकास प्रक्रिया में भाग लेने का एक अवसर प्रदान करेगी।



बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के 161 ज़िलों में कार्यान्वयन के उत्साहजनक परिणामों और देश भर में फैली कन्या भ्रूण हत्या की समस्या की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि यदि शिशु लिंगानुपात में समग्र रूप से सुधार लाना है तो इस कार्यक्रम को देश के सभी ज़िलों में लागू किया जाना आवश्यक है।
- इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का अखिल भारतीय स्तर पर सभी 640 ज़िलों में विस्तार करने को मंज़ूरी प्रदान की है।
- इस योजना के अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिये शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता के माध्यम से ₹ 1132.5 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
- इस विस्तार में मौजूदा 161 ज़िलों के अलावा 244 ज़िलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप गतिविधियों के माध्यम से एवं शेष 235 ज़िलों को अलर्ट ज़िला मीडिया, जागरूकता व आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किया जाएगा।
- स्मरणीय है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत ज़िले से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के उन ज़िलों में जहाँ 0-6 वर्ष के बच्चों में शिशु लिंगानुपात की स्थिति अत्यंत खराब है, वहाँ कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर शिशु लिंगानुपात में सुधार करना है। इसके साथ ही इस योजना में बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है।
- वर्तमान में यह योजना 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के नेतृत्व में 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' व 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के सामूहिक प्रयासों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।



'महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन' अंब्रेला योजना के तहत अन्य गतिविधियाँ

- कामकाजी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिये 190 से अधिक कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना की जाएगी, जिनमें लगभग 19 हज़ार कामकाजी महिलाएँ रह सकेंगी।
- 26,000 महिला लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिये अतिरिक्त स्वाधार गृहों को भी मंज़ूरी दी गई है।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समावेशी सहायता प्रदान करने के लिये 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 150 अतिरिक्त ज़िलों में वन स्टॉप सेंटरों की स्थापना की जाएगी।
- इन वन स्टॉप सेंटरों को महिला हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा और देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर महिला पुलिस, स्वयंसेवकों को संलग्न करके जनता-पुलिस संपर्क स्थापित किया जाएगा। सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के 65 ज़िलों में इसका विस्तार किया जाएगा।

योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन

- सभी उप-योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिये राष्ट्रीय, राज्य व ज़िला स्तर पर एक सामान्य कार्यबल का गठन किया जाएगा। यह कार्यबल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति एवं लागत प्रभाविता को सुनिश्चित करेगा। सतत् विकास लक्ष्यों के आलोक में प्रत्येक योजना के लक्ष्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।
- नीति आयोग द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार सभी उप-योजनाओं के लिये संकेतकों पर आधारित परिणामों की निगरानी के लिये तंत्र की स्थापना भी की जाएगी। इन योजनाओं को राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सभी उप-योजनाओं में केंद्रीय स्तर, राज्य, ज़िला और खंड स्तर पर एक अंतर्निहित निगरानी ढाँचा निर्मित किया जाएगा।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा देश की गरीब आबादी के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सार्वभौमिक योजना तैयार की गई है। दरअसल, यह प्रयास सरकार की उस महत्त्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसके ज़रिये देश के सभी नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
- ध्यातव्य है कि इस योजना का खाका श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा जो आगे इस योजना के कार्यान्वयन संबंधी महत्त्वपूर्ण कदम उठाएगा।

- इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय और साथ-ही-साथ शिकायतकर्त्ता भी आईसीसी द्वारा की जाने वाली पड़ताल की प्रगति पर नज़र रख सकेगा।
- मंत्रालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम पर एक लघु पुस्तिका का भी प्रकाशन किया है। इसका उद्देश्य कानून के प्रावधानों के इस्तेमाल में आसान व्यावहारिक तरीके के बारे में जानकारी देना है।
- इसके अलावा, मंत्रालय ने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली के साथ सहयोग से इस कानून के संबंध में सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने और उनमें इस कानून को लागू करने की पेशेवर दक्षता विकसित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।
- कानून के बारे में देश भर के संगठित और असंगठित क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात् प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ आदि उपलब्ध कराने वाली 29 संसाधन संस्थाओं के समूह की पहचान की है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

- विशाखा मामले में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है और महिला कर्मचारियों को दी गई धमकी या महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कार्य वातावरण को उत्पन्न करने के प्रयास को शामिल कर इस अधिनियम को और भी विस्तृत बना दिया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पाने वाली पीड़ित महिला (Aggrieved Woman) की परिभाषा को अत्यधिक विस्तृत बना दिया गया है ताकि बिना उसकी उम्र या रोज़गार प्रस्थिति को ध्यान में रखे, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, सभी संरक्षण पाने की हकदार हो। इसमें ग्राहकों, खरीददारों के साथ-साथ घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।
- जहाँ विशाखा दिशा-निर्देशों में कार्यस्थल, परंपरागत ढाँचा जिसमें स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पाये जाते हैं, तक ही सीमित था, वहीं इस अधिनियम में संगठनों, विभागों, कार्यालयों (सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र की शाखा इकाई), अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्टेडियम, शैक्षिक संस्थानों, खेल परिसर या किसी अन्य स्थान तथा रोज़गार के दौरान कर्मचारी द्वारा किसी स्थान की यात्रा जिसमें परिवहन भी शामिल हैं आदि को शामिल किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) तथा स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee – LCC) के रूप में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। ऐसे कार्यस्थलों पर जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है। आंतरिक शिकायत समिति एक चार सदस्यीय समिति होगी जिसकी अध्यक्ष वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। दो सदस्य प्रमुखत: वैसे कर्मचारियों में से शामिल किये जाएंगे जो महिला संबंधी मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हों या जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव या कानूनी जानकारी हो। इसके अलावा, तीसरे पक्ष (Third Party) के रूप में किसी गैर-सरकारी संगठन को शामिल किया जाएगा।
- स्थानीय शिकायत समिति 5 सदस्यीय होगी जिसकी अध्यक्ष सामाजिक कार्य करने वाली या महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध प्रख्यात महिला होगी तथा एक सदस्य ज़िले की नगरपालिका (Municipality), प्रखंड (Block), तालुका, तहसील में कार्य करने वाली महिला होगी। दो सदस्यों में से कम-से-कम एक महिला सदस्य गैर-सरकारी संगठन द्वारा नामांकित की जाएगी जो महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हो; यह सदस्य ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों से परिचित हो। नामांकित दो सदस्यों के मामले में शर्त यह है कि कम-से-कम एक सदस्य की पृष्ठभूमि विधि या कानूनी जानकार की हो तथा एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हो। सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से जुड़ा अधिकारी पदेन सदस्य होगा।
- यौन उत्पीड़न की शिकायत 3 महीने की समय-सीमा में दर्ज़ की जा सकती है। इस समय-सीमा को अगले 3 महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है, यदि महिला यह साबित कर दे कि मुश्किल परिस्थितियों के कारण वह निश्चित समय-सीमा में शिकायत नहीं कर सकी।
- समिति के लिये अनिवार्य है कि वह 30 दिनों के अंदर जाँच पूरी करे। विपरीत परिस्थितियों में अधिकतम सीमा 90 दिन है। जाँच पूरी कर लेने के बाद रिपोर्ट मामले के अनुसार नियोक्ता या ज़िला अधिकारी (District Officer) के पास भेजनी होती है। उन्हें 60 दिन के अंदर रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी होती है।
- दुर्भावनापूर्ण या मिथ्या शिकायतों के मामले में सेवा शर्त कानूनों के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, इस दुर्भावना संबंधी प्रावधान को शामिल करने से पहले जाँच करने के रूप में सुरक्षा प्रावधान भी थे। इसके अलावा, केवल मामले को साबित करने में अक्षमता से इसके प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना आरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण का निर्माण करे। नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे विधेयक के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिये नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें और आंतरिक समिति के गठन और यौन उत्पीड़न आदि के दंडात्मक परिणामों के बारे में सूचना प्रदर्शित करें।

9 कला एवं संस्कृति
(Art and Culture)

यूनेस्को एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, 2017

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूनेस्को द्वारा विभिन्न श्रेणियों में एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, 2017 प्रदान किये गए।
- 2017 में कुल सात भारतीय सांस्कृतिक विरासतों को 'मेरिट श्रेणी' एवं 'सम्मानपूर्ण उल्लेख श्रेणी' में स्थान दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

मेरिट श्रेणी

- क्राइस्ट चर्च, मुंबई
- रॉयल बॉम्बे ओपेरा हाउस, मुंबई
- श्री रंगनाथस्वामी मंदिर, श्रीरंगम, तमिलनाडु

सम्मानपूर्ण उल्लेख श्रेणी

- बोमनजी होर्मजी वाडिया फाउंटेन एवं क्लॉक टावर, मुंबई
- गोहाद किले के द्वार, गोहाद, मध्य प्रदेश
- धर्मपुरा हवेली, दिल्ली
- वेलिंगटन फाउंटेन, मुंबई

इस वर्ष एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार का सर्वोच्च 'उत्कृष्टता पुरस्कार' हॉन्गकॉन्ग स्थित 'ब्लू हाउस क्लस्टर' को प्रदान किया गया है।

यूनेस्को एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम

- यूनेस्को द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यक्तियों व संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों को मान्यता प्रदान करने एवं ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये 'एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम' के तहत इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।
- ये पुरस्कार पाँच श्रेणियों, यथा- 'उत्कृष्टता श्रेणी', विशेष सम्मान श्रेणी', 'मेरिट श्रेणी', 'सम्मानपूर्ण उल्लेख श्रेणी' व 'विरासत के संदर्भ में नवीन डिज़ाइन श्रेणी' में प्रदान किये जाते हैं।

नोट: हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारत में कुल चार स्थानों (हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन) पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यातव्य है कि इससे पहले 'योग' और 'नवरोज' को भारत की ओर से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

क्रिएटिव शहरों का नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के राजधानी शहर चेन्नई को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा संगीत में योगदान के लिये क्रिएटिव शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह 44 देशों के 64 शहरों में से एक है, जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव शहरों के रूप में नामित किया गया है। इन शहरों को शामिल करने के साथ ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की कुल संख्या अब 72 देशों में 180 शहरों तक पहुँच गई है।
- इसके अंतर्गत जयपुर (सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में) और वाराणसी (सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड लोक कला के रूप में) को 2016 में जोड़ा गया था। इनके बाद यूनेस्को क्रिएटिव शहरों की सूची में जुड़ने वाला चेन्नई तीसरा भारतीय शहर है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क

- यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन) की स्थापना 2004 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य उन शहरों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिन्होंने स्थायी शहरी विकास के लिये सामरिक कारक के रूप में रचनात्मकता की पहचान की है।
- वर्तमान में इस नेटवर्क के अंतर्गत 116 शहर एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करते हैं- स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थान देना और सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना।
- वर्तमान में इस नेटवर्क में सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं: शिल्प और लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, पाक-कला, साहित्य और संगीत।

भारत-यूनेस्को

चर्चा में क्यों?

अभी हाल ही में फ्राँस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के 39वें आम सम्मेलन में भारत को पुन: यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुन लिया गया है।

आम सम्मेलन क्या है?

- यह आम सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका कार्यकारी बोर्ड निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है।

घर लकड़ी के बने हैं, जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। पोल सामुदायिक बसावट को 'जीवित विरासत' माना जाता है।

- पूर्व में यूनेस्को ने पेरिस, काहिरा, एडिनबर्ग, गाले (श्रीलंका) और भक्तपुर (नेपाल) शहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था।
- वर्तमान में अहमदाबाद सहित भारत के कुल 36 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें से **28** को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक श्रेणी व 1 को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम

- विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित और मॉनिटर किये जाने वाले 6 विषयगत (Thematic) कार्यक्रमों में से एक है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी विरासत को संरक्षित व प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना है।
- इसके लिये इस कार्यक्रम में द्विस्तरीय प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है-
 - शहरी विरासत के संरक्षण के लिये सैद्धांतिक ढाँचे का विकास करना।
 - संरक्षण के नए दृष्टिकोण एवं योजनाओं को लागू करने में सदस्य राष्ट्रों की तकनीकी सहायता करना।

थियेटर ओलंपिक्स

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई को संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्रालय ने भारत द्वारा फरवरी 2017 से 08 अप्रैल, 2018 तक विश्व के सबसे बड़े थियेटर समारोह, 8वें थियेटर ओलंपिक्स की मेज़बानी की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- यह थियेटर कार्निवल देश के विभिन्न भागों में एक साथ होगा। इस कार्निवल में विश्व के 500 नाटक और 700 एंबीएंस प्रदर्शन होंगे।
- इसके अतिरिक्त प्रदर्शनियाँ, सेमिनार, सक्रिय संवाद तथा शिक्षाविदों, लेखकों, अभिनेताओं, डिज़ाइनरों और निर्देशकों के साथ कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।
- भारत में पहली बार आयोजित होने वाले थियेटर ओलंपिक का आयोजन संस्कृति मंत्रालय का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) कर रहा है।
- यह विश्व का सबसे बड़ा थियेटर समारोह 17 फरवरी से 8 अप्रैल, 2018 तक भारत के 15 शहरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इसका समापन समारोह मुंबई में होगा।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD)

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है। वर्ष 1959 में इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में की गई थी। यह 1975 में स्वतंत्र संस्था के रूप में अस्तित्व में आया व समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत समिति के रूप में इसका पंजीकरण हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित संस्था है।

- विद्यालय तीन वर्षीय सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें रंगमंच से जुड़ी प्रत्येक विधा का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त विद्यालय द्वारा बाल रंगमंच के क्षेत्र में भी शिक्षण-प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ व महोत्सव संचालित किये जाते हैं।
- विद्यालय की दो प्रस्तुति इकाइयाँ हैं- 'रंगमंडल' और 'थियेटर इन एजुकेशन कंपनी'।
- 16 अक्तूबर, 1989 में थियेटर इन एजुकेशन कंपनी (संस्कार रंग टोली) की स्थापना की गई थी। यह देश में रंगमंच शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- विद्यालय का प्रकाशन विभाग, भारत व विश्व के श्रेष्ठ नाटकों व रंगकर्म तकनीकों पर पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है।
- विद्यालय भारत रंग-महोत्सव, बाल संगम, जश्न-ए-बचपन, पूर्वोत्तर नाट्य समारोह का भी नियमित रूप से आयोजन करता है।

- इस ओलंपिक का सूत्रवाक्य 'मित्रता का ध्वज' होगा।
- चीन, जापान, रूस, तुर्की, दक्षिण कोरिया सहित तमाम देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

क्या है थियेटर ओलंपिक्स?

- थियेटर ओलंपिक्स की स्थापना यूनान के डेल्फी में 1993 में पहले अंतर्राष्ट्रीय थियेटर समारोह के रूप में हुई थी।
- वहीं 1999 में शिजुओका में, 2001 में रूस में, 2006 में इस्तांबुल में, 2010 में दक्षिण कोरिया के सियोल में, 2014 में चीन के बीजिंग में, 2016 में पोलैंड के ब्रोकला और अब 2018 में इसका आयोजन भारत में होगा।
- 'क्रॉसिंग मिलेनिया' शीर्षक पहल का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य के साथ अतीत की संस्कृति को जोड़ना, थियेटर की समृद्ध और विविध विरासत को एक साथ लाना और समकालीन शोध है।
- थियेटर ओलंपिक्स अग्रणी राष्ट्रीय थियेटर समारोह है और इसमें जाने-माने थियेटरकर्मियों की बेहतरीन कृतियों को प्रस्तुत किया जाता है।

पाइक विद्रोह

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओडिशा के पाइक विद्रोह (1817) की 200वीं वर्षगाँठ पर समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही ओडिशा मंत्रिमंडल ने 1817 के पाइक विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में घोषित करने के लिये केंद्र को प्रस्ताव देने का फैसला किया।

पाइक विद्रोह के बारे में

- यह विद्रोह उड़ीसा की 'पाइक' जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा ज़िले से शुरू हुआ।
- बक्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे।

10 खेल घटनाक्रम (Sports Events)

खेल घटनाक्रम

हॉकी

प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	विजेता	उपविजेता
एशिया कप, 2017	ढाका (बांग्लादेश)	भारत	मलेशिया
एशिया कप (महिला), 2017	ककामीगहारा, गिफू (जापान)	भारत	चीन
सुल्तान अज़लान शाह कप, 2017	इपोह (मलेशिया)	ब्रिटेन	ऑस्ट्रेलिया
हॉकी इंडिया लीग, 2017	चंडीगढ़	कलिंगा लांसर्स	दबंग मुंबई
सुल्तान ऑफ जोहोर कप, 2017	जोहोर (मलेशिया)	ऑस्ट्रेलिया	ब्रिटेन
पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप, 2016	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	भारत	बेल्जियम
अंडर-18 एशिया कप पुरुष हॉकी, 2016	ढाका (बांग्लादेश)	भारत	बांग्लादेश
महिला हॉकी जूनियर विश्व कप, 2016	सेंटियागो (चिली)	अर्जेंटीना	नीदरलैंड

बैडमिंटन

प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	विजेता	उपविजेता
फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज़, 2017	पेरिस (फ्राँस)	किदांबी श्रीकांत (भारत)	केंटा निशिमोतो (जापान)
डेनमार्क ओपन वर्ल्ड सुपर सीरीज़ प्रीमियर, 2017	डेनमार्क	किदांबी श्रीकांत (भारत)	ली ह्यून-II (दक्षिण कोरिया)
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2017 (पुरुष एकल) विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2017 (महिला एकल)	ग्लासगो (स्कॉटलैंड)	विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क) नोज़ोमी ओकुहारा (जापान)	लिनडेन (चीन) पी.वी. सिंधु (भारत)
ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2017	सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)	किदांबी श्रीकांत (भारत)	चेन लॉन्ग (चीन)
इंडोनेशिया ओपन सीरीज़, 2017	जकार्ता (इंडोनेशिया)	किदांबी श्रीकांत (भारत)	काजुमासा सकाई (जापान)
थाईलैंड ओपन सीरीज़, 2017	बैंकॉक (थाईलैंड)	बी.साई प्रणीत (भारत)	जोनाथन क्रिस्टी (इंडोनेशिया)
सिंगापुर ओपन सीरीज़, 2017	सिंगापुर	बी.साई प्रणीत (भारत)	किदांबी श्रीकांत (भारत)
सुदीरमन कप, 2017	गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया)	द. कोरिया	चीन
82वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2017 (पुरुष एकल)	नागपुर (महाराष्ट्र)	एच.एस. प्रणय	किदांबी श्रीकांत
82वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2017 (महिला एकल)		साइना नेहवाल	पी.वी. सिंधु
इंडिया ओपन सुपर सीरीज़, 2017	दिल्ली (भारत)	पी.वी. सिंधु (भारत)	कैरोलिना मारिन (स्पेन)
प्रीमियर बैडमिंटन लीग, 2017	दिल्ली (भारत)	चेन्नई स्मैशर्स	मुंबई रॉकेट्स
कोरिया ओपन सुपर सीरीज़, 2017 (महिला एकल)	सियोल (द. कोरिया)	पी.वी. सिंधु (भारत)	नोज़ोमी ओकुहारा (जापान)

	■ लैशराम देबेंद्रो सिंह ■ चेतेश्वर पुजारा ■ हरमनप्रीत कौर ■ ओइनम बेम्बम देवी ■ एस.एस.पी. चौरसिया ■ एस.वी.सुनील ■ जसवीर सिंह ■ पी.एन.प्रकाश ■ ए. अमलराज ■ साकेत मायनेनी ■ सत्यव्रत कादियान ■ रियप्पन थंगावेलु ■ वरुण सिंह भाटी	बॉक्सिंग क्रिकेट क्रिकेट फुटबॉल गोल्फ हॉकी कबड्डी निशानेबाजी टेबल टेनिस टेनिस कुश्ती पैरा-एथलीट पैरा-एथलीट
ध्यानचंद पुरस्कार *(ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति-पत्र, ध्यानचंद की कांस्य प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक एवं ₹5 लाख पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।)*	■ भूपेंद्र सिंह ■ सैयद शाहिद हाकिम ■ सुमाराई टेटे	एथलेटिक्स फुटबॉल हॉकी

स्मरणीय तथ्य

क्रिकेट

- भारत-न्यूज़ीलैंड के बीच 22–29 अक्तूबर, 2017 के मध्य खेली गई तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की शृंखला में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 2–1 से पराजित किया।
- 17 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2017 के मध्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पाँच एकदिवसीय मैचों की शृंखला में भारत ने 4 – 1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। हार्दिक पांड्या को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज़' चुना गया जबकि रोहित शर्मा ने शृंखला में सर्वाधिक 296 रन बनाए।
- 20 जुलाई से 6 सितंबर, 2017 तक भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर गई जहाँ 3 टेस्ट मैचों, 5 एकदिवसीय मैचों व एक T–20 मैच की शृंखला में भारतीय टीम ने सभी मैच जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
- श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के गेंदबाज रवींद्र जडेजा ने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 150 विकेट लेकर विश्व में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले (32वें टेस्ट में) बायें हाथ के गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने आयरलैंड एवं अफगानिस्तान को 22 जून, 2017 को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया। इसके पश्चात् आयरलैंड और अफगानिस्तान क्रमशः 11वीं और 12वीं टेस्ट टीमें होंगी।
- 24 जून से 23 जुलाई, 2017 के मध्य इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 9 रनों से हराकर चौथी बार महिला विश्व कप का ख़िताब जीत लिया। फाइनल मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार इंग्लैंड की अन्या श्रुबसोले को मिला।
- भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज विश्व कप में 1000 से अधिक (कुल 1139) रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।
- महिला विश्व कप के 12 वें मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तान डैन बैन निएकेर्क ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने 4 ओवरों के स्पेल में बिना कोई रन दिये 4 विकेट लिये। किसी भी पुरुष या महिला द्वारा प्राप्त की गई यह पहली उपलब्धि है।
- 1 से 18 जून, 2017 तक इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से पराजित कर दिया। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार फखर जमान (पाकिस्तान) को मिला। प्रतियोगिता में गोल्डन बॉल का पुरस्कार हसन अली (13 विकेट) को जबकि गोल्डन बैट का पुरस्कार शिखर धवन (338 रन) को मिला।
- 4 मई से 21 मई, 2017 तक खेली गई चार देशों की एकदिवसीय शृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 8 विकेट से हराकर शृंखला का ख़िताब जीत लिया। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने अपने एकदिवसीय कॅरियर में कप्तान के तौर पर 100वाँ मैच खेला। वो इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क के बाद ऐसा करने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी हैं।
- चार देशों की इस एकदिवसीय क्रिकेट शृंखला के दौरान भारत की दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले विकेट के लिये 320 रन जोड़कर महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में

11

विविध
(Miscellaneous)

चर्चित व्यक्ति

नियुक्ति (राष्ट्रीय)

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम व मेघालय में राज्यपालों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिये उप-राज्यपाल की नियुक्ति की।

इनकी सूची निम्नलिखित है:

व्यक्ति	राज्य
ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा	अरुणाचल प्रदेश
सत्यपाल मालिक	बिहार
बनवारीलाल पुरोहित	तमिलनाडु
जगदीश मुखी	असम
गंगा प्रसाद	मेघालय
देवेंद्र कुमार जोशी	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (उप-राज्यपाल)

बद्री नारायण शर्मा



- नवंबर 2017 में 1985 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस अधिकारी बद्री नारायण शर्मा को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- इस प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चत करना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुँच जाए।

एन.के. सिंह



- प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.के. सिंह को हाल ही में गठित 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया।
- एन.के. सिंह देश के प्रमुख नौकरशाहों में से एक हैं और ये पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं।

दलवीर भंडारी



- हाल ही में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 9 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिये पुन: निर्वाचित हुए।
- न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2018 तक था। उन्हें पहली बार 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- स्मरणीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग (नीदरलैंड्स) में स्थित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद् द्वारा निर्वाचित 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है।

स्नेहलता श्रीवास्तव



- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्नेहलता श्रीवास्तव को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली महिला आईएएस अधिकारी होंगी।
- वे 1982 बैच की मध्य प्रदेश काडर की आईएएस अधिकारी हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल नवंबर 2018 तक रहेगा। वर्तमान में वे विधि एवं न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग की सचिव के तौर पर कार्यरत हैं।

शक्तिकांत दास



- हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास को जी-20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है।
- इस पद पर उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2018 तक रहेगा। उनसे पूर्व जी-20 में भारतीय शेरपा की ज़िम्मेदारी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया वहन कर रहे थे।
- स्मरणीय है कि शेरपा वार्षिक जी-20 शिखर सम्मेलन में किसी राष्ट्र या सरकार का प्रतिनिधि होता है।

अजय बिसारिया

भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अजय बिसारिया को पाकिस्तान में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह पोलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं।

देबजानी घोष



- इंटेल साउथ एशिया की पूर्व प्रबंध निदेशक देबजानी घोष को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज़ कंपनीज़ (NASSCOM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- 1989 में पद्म श्री से सम्मानित केपीएस गिल इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 'पंजाब : नाइट्स ऑफ फाल्सहुड' नामक पुस्तक भी लिखी। 2013 में उनकी जीवनी 'केपीएस गिल-द पैरामाउंट कॉप' प्रकाशित हुई।

लीला सेठ



- देश के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की माँ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लीला सेठ का 86 वर्ष की आयु में नोएडा में निधन हो गया।
- लीला सेठ लंदन बार परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाली पहली महिला थीं, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं और साथ ही किसी उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेश) की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं।
- वे 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद 2012 में गठित की गई न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति के तीन सदस्यों में भी शामिल थीं। लीला सेठ ने अपनी आत्मकथा 'ऑन बैलेंस' के अलावा 'टॉकिंग ऑफ जस्टिस: पीपुल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया' भी लिखी है।

अशोक मित्रन



- प्रख्यात तमिल साहित्यकार अशोक मित्रन का 86 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें लघु कथाओं के उनके एक संग्रह के लिये 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया था।
- उनकी कई कृतियों का अंग्रेज़ी के साथ-साथ कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी रचनाओं में 200 से अधिक लघु कथाएँ, आठ उपन्यास, 15 अन्य लघु उपन्यास शामिल हैं।

निधन (अंतर्राष्ट्रीय)

जॉन लॉरेंस एशबेरी



- हाल ही में अमेरिका के पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि जॉन लॉरेंस एशबेरी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उन्हें उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह 'सेल्फ-पोट्रेट इन ए कॉनवेक्स मिरर' (Self-Portrait in a Convex Mirror) के लिये वर्ष 1976 में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

मरियम मिर्ज़ाखानी



- ईरानी मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ मरियम मिर्ज़ाखानी (Maryam Mirzakhani) का 14 जुलाई, 2017 को 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वे गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मैडल सम्मान जीतने वाली पहली महिला थीं। वर्तमान में वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थीं।

लियू शियाओबो



- हाल ही में चीन के प्रसिद्ध लोकतंत्र समर्थक नेता एवं नोबेल शांति (2010) पुरस्कार विजेता लियू शियाओबो (Liu Xiaobo) का लीवर कैंसर के चलते चीन के शेनयांग शहर में निधन हो गया।
- अपने लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक विचारों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मुखर आलोचना के लिये उन्हें चीन की सरकार के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा।
- उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिये आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1989 में की थी। उस दौर में उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिये छात्रों द्वारा चलाए जा रहे '89 डेमोक्रेसी मूवमेंट' का समर्थन किया था।
- ज्ञातव्य है, '89 डेमोक्रेसी मूवमेंट' के समय ही बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर छात्रों पर चीनी सरकार द्वारा गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें हज़ारों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी।

अहमद कथरादा



- नेल्सन मंडेला के करीबी सहयोगी रहे भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीकी रंगभेद विरोधी नेता अहमद कथरादा का 87 वर्ष की आयु में जोहांसबर्ग में निधन हो गया।
- वह एएनसी (अफ्रीकी राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस), वृहद् मुक्ति आंदोलन और संपूर्णता में दक्षिण अफ्रीका के पक्षधर थे। अहमद कथरादा का जन्म दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी-पश्चिमी प्रांत में हुआ था।
- उन्हें 2005 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाज़ा था, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है।

महत्त्वपूर्ण स्थल

चर्चित राज्य/स्थल (राष्ट्रीय)

त्रिपुरा

- हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा सभी सरकारी इमारतों के साइनबोर्ड, नामपट्टिकाओं व नोटिस बोर्ड आदि को जनजातीय भाषा 'कोकबोरोक' (Kokborok) में लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इस कार्य की निगरानी हेतु एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है। ज्ञातव्य है कि त्रिपुरा की कुल आबादी 37 लाख है जिसमें एक-तिहाई हिस्सा आदिवासियों का है। राज्य के 11,66,813 आदिवासियों में से 60 प्रतिशत से अधिक कोकबोरोक भाषा बोलते हैं।

राजस्थान

- हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया है।



- इस वर्ष के मेले का विषय "स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया" रखा गया था। इस मेले में वियतनाम जहाँ भागीदार देश था वहीं किर्गिस्तान को फोकस देश रखा गया था। इस मेले में झारखंड भागीदार राज्य के रूप में था।
- इसमें भारतीय राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ विभिन्न देशों के लगभग 7 हज़ार भागीदार सम्मिलित हुए। इसमें सम्मिलित हुए देशों के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर पुस्तक व वस्त्रों तक के विभिन्न उत्पाद सम्मिलित थे। इसमें स्वयं सहायता समूह, छोटे व मध्यम विनिर्माण उद्यम, नवीन स्टार्टअप से लेकर बड़े औद्योगिक घरानों के उत्पाद भी उपलब्ध थे। इसमें हुनर हाट विशेष आकर्षण का केंद्र था।

जैविक कृषि विश्व कुंभ, *2017*

- 19वें जैविक कृषि विश्व कुंभ (19th Organic World Congress, 2017) का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में 9–11 नवंबर, 2017 के मध्य किया गया।

ORGANIC WORLD CONGRESS 2017
जैविक कृषि विश्व कुंभ

- इस सम्मेलन में 110 देशों के 1400 और 2000 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि विश्व कुंभ तीन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट्स और भारतीय जैविक कृषि एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

गोल्डन एलीफैंट महोत्सव

- 8-14 नवंबर, 2017 के मध्य '20वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बाल फिल्म महोत्सव' जिसे गोल्डन एलीफैंट महोत्सव भी कहा जाता है का आयोजन हैदराबाद (तेलंगाना) में किया गया।



- इस वर्ष महोत्सव की थीम 'न्यू इंडिया' रखी गई थी। यह महोत्सव प्रत्येक दूसरे वर्ष भारतीय बाल फिल्म सोसायटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 18वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायविदों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु हथियारों के खतरों, राष्ट्रों व नागरिकों के मध्य मतभेद जैसी समस्याओं के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उपयोगिता पर विचार-विमर्श किया।

बंधन एक्सप्रेस

हाल ही में कोलकाता और खुलना (बांग्लादेश) के बीच 'कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस' नामक एक नई यात्री ट्रेन सेवा का प्रारंभ किया गया। यह ट्रेन कोलकाता (भारत) और खुलना (बांग्लादेश) के बीच लगभग 172 किमी. लंबे मार्ग पर चलेगी।

ब्लॉकचैन शिखर सम्मेलन एवं हैकाथॉन

- 10–13 नवंबर, 2017 के मध्य आईआईटी दिल्ली में ब्लॉकचैन शिखर सम्मेलन और हैकाथॉन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन नीति आयोग और एमआईटी तथा हार्वर्ड के स्नातकों द्वारा स्थापित की गई ब्लॉकचैन स्टार्टअप कंपनी 'प्रॉफर' (PROFFER) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- यह सम्मेलन हैदराबाद में होने वाले ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन के लिये आयोजित किये जाने वाले समारोहों की शृंखला का ही एक भाग था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में ब्लॉकचैन आर्किटेक्चर के माध्यम से नए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में सहयोग देना था।

फिल्म पुरस्कार				
पुरस्कार	**सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**	**सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**	**सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**	**सर्वश्रेष्ठ फिल्म**
64वाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2016	अक्षय कुमार ('रुस्तम' फिल्म के लिये)	सुरभि सी. एम. (मलयालम फिल्म 'मिन्नामिनुंगु-द फायर फ्लाई' के लिये)	राजेश मापुस्कार (मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के लिये)	कासव (मराठी भाषा में)
62वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 2017	आमिर खान ('दंगल' फिल्म के लिये)	आलिया भट्ट ('उड़ता पंजाब' फिल्म के लिये)	नितेश तिवारी (दंगल)	दंगल
18वें आइफा पुरस्कार	शहिद कपूर ('उड़ता पंजाब' फिल्म के लिये)	आलिया भट्ट ('उड़ता पंजाब' फिल्म के लिये)	अनिरुद्ध राय चौधरी (पिंक)	नीरजा
89वाँ ऑस्कर पुरस्कार, 2017	केसी एफ्लेक ('मैनचेस्टर बाई द सी' फिल्म के लिये)	एम्मा स्टोन ('ला ला लैंड' फिल्म के लिये)	डेमियन चेजले (ला ला लैंड)	मूनलाइट
70वाँ बाफ्टा पुरस्कार	केसी एफ्लेक ('मैनचेस्टर बाई द सी' फिल्म के लिये)	एमा स्टोन ('ला ला लैंड' फिल्म के लिये)	डेमियन चेजले (ला ला लैंड)	ला ला लैंड
ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, 2016	थाबो रामेत्सी (द. अफ्रीका)	यूरिया पेरेसिल्ड (रूस)	हुओ जिंकी	तिथि (कन्नड़ फिल्म)

नोट: 62वें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया।
- राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में किया गया।

48वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)– 2017	
स्वर्ण मयूर पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ फिल्म)	120 बीट्स पर मिनट (निर्देशक-रोबिन कंपिलो)
रजत मयूर पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता)	नहुएल पेरेज बिस्कायार्ट (फिल्म-120 बीट्स पर मिनट)
रजत मयूर पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री)	पार्वती थिरूवोथ कोट्टूवट्टा (मलयालम फिल्म-टेक ऑफ)
रजत मयूर पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक)	विवियन क्यू (फिल्म-एंजेल्स वियर व्हाइट)
आईएफएफआई 2017 लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार	एटम एगोयान (कनाडाई फिल्मकार)
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का पुरस्कार	अमिताभ बच्चन
आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी मेडल	क्षितिज-ए होराईज़न (मराठी फिल्म)



नोबेल पुरस्कार		
पुरस्कार	**2017**	**2016**
भौतिक विज्ञान	■ बैरी सी. बैरिश (अमेरिका) ■ रैनर विस (अमेरिका) ■ किप एस. थोर्न (अमेरिका) *(यह पुरस्कार गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी तरंगों की खोज के लिये प्रदान किया गया)*	■ जे. माइकल कोस्टरलिट्ज़ ■ डंकन हाल्डेन ■ डेविड जे. थूलेस
रसायन विज्ञान	■ जैक्स डबोशे (स्विट्ज़रलैंड) ■ जोएचिम फ्रैंक (अमेरिका) ■ रिचर्ड हैंडरसन (ब्रिटेन) *(यह पुरस्कार जैव अणुओं की गतिविधियों के लिये क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कॉपी को विकसित करने हेतु प्रदान किया गया)*	■ जीन पियरे साउवेग ■ फ्रेजर स्टोडार्ट ■ बर्नार्ड फेरिंगा

www.drishtiias.com

हिंदी में पहली बार वह सब जो आपको अंग्रेज़ी की वेबसाइट्स पर भी नहीं मिलेगा

तैयारी की रणनीति	मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर	पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी
न्यूज़ एनालिसिस *(अंग्रेज़ी के प्रमुख समाचार पत्रों से)*	राज्यसभा/लोकसभा टी.वी. डिस्कशंस	पी.आई.बी./पी.आर.एस.
माइंड मैप	वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर (विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर)	मॉक टैस्ट सीरीज़
प्रारंभिक परीक्षा 2018	एन.सी.ई.आर.टी. टैस्ट	आर्टिकल एनालिसिस *(अंग्रेज़ी के प्रमुख समाचार पत्रों से)*
डेली करेंट क्विज़	दैनिक अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)	यू-ट्यूब चैनल

दृष्टि आई.ए.एस. की नई पहल

'Drishti IAS'

Youtube Channel

आपकी तैयारी को और अधिक धारधार बनाने के लिये दृष्टि आई.ए.एस. ने YouTube चैनल की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत IAS की तैयारी से जुड़े कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं



- ऑडियो आर्टिकल
- प्रिलिम्स क्विज़
- क्विक रिवीज़न
- Strategy
- Concept Talk
- Topper's View

Visit us : YouTube / DrishtiIAS & SUBSCRIBE



641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे दृष्टि संस्थान द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षा की पाठ्य-सामग्री, नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी।

UPSC के लिये

यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 Booklets) (₹12,000/-)

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(23 Booklets) (₹10,000/-)

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 + 8 Booklets) (₹15,000/-)

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय) (₹6,000/-)

दर्शनशास्त्र
(वैकल्पिक विषय) (₹5,000/-)

इतिहास
(वैकल्पिक विषय) (₹7,000/-)

MP PCS के लिये

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (राज्य सेवा) परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप हमने डी.एल.पी. प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार की प्रामाणिक रिपोर्टों तथा सामान्य अध्ययन की जटिल एवं बिखरी पाठ्य-सामग्रियों का इस प्रकार से संकलन किया गया है जिससे अभ्यर्थियों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ हो जाती है। यह पाठ्य-सामग्री नि:संदेह आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(8 Booklets) (₹2,500/-)

मध्य प्रदेश डी.एल.पी. की सफलता के पश्चात्
तीन नए राज्यों (राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड) की डी.एल.पी. की शुरुआत

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें



641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-936314-2-3
9 788193 631423
मूल्य : ₹ 195